कर सके। उस पर पाकिस्तान ने हमला नहीं किया, चीन ने हमला नहीं किया, लेकिन उस पर कुछ भारत के लोगों ने, जिनको भारतीय कहने में मुझे शर्म आ रही है, उन कौम के गद्दारों ने इस देश को चीरने का प्रयत्न किया और उसको नुकसान पहुंचाया। उन लोगों की वकालत करने वाले कुछ लोग आप में भी बैठे हुए हैं।

श्री जगदीश टाइटलर : उन सब ने जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग ली हैं, जिनके लिए आप सब रोते हो।

श्री हरीश कुमार गंगवार : उन सबके साथ वे लोग जगदीश टाइटलर जी के यहां ट्रेनिंग लेकर गए थे, मेरी जानकारी ऐसी है।... (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, आप तो विदेशों में कई बार जा चुके हैं। मेरे दोस्त मधु जी ने ठीक ही कहा, कैसे जम्मू कश्मीर से हवाई जहाज उड़ गया। क्यों साहब, उसकी आदत तो आप लोगों ने ही डाली थी। एक को एम० एल० ए० बना दिया, अब की बार शायद किसी को एम० पी० बनाना होगा। हवाई जहाज का उड़ाना चाहे इधर से हो, चाहे उधर से हो, हिन्दू हो या मुसलमान हो, उसके लिए मौत की सजा का प्रावधान हो। यदि आप कुछ परम्पराएं रखना चाहते हैं तो उस एम० एल० ए० को निकाल दो और गिरफ्तार कर लो, जिसने हवाई जहाज उड़ाया था। इसलिए कृपा करके किसी को आपस में लड़ाओ मत, अकालियों की वकालत करने वालों दया करो, अपनों की वकालत करने वालो दया करो, वोट की खातिर, ऐसे काम मत करो।

16.12 hrs.

LEVY SUGAR PRICE EQUALISATION FUND (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): Sir, I beg to move**

"That the Bill to amend the Levy Sugar Price Equalisation Fund Act, 1976, be taken into consideration."

(SHRI SOMNATH CHATTERJEE *in the chair*)

As the House may be aware, the Government has been following, in the interest of millions of consumers, the policy of partial control on sugar since 1967-68 sugar year with brief spells of breaks from 25-5-1971 to 30-6-1972 and from 16-8-1978 to 16-12-1979. Under this policy, a substantial portion of sugar production (called 'levy sugar') each year is taken over at prices fixed under the Essential Commodities Act for distribution to the consumer through fair price/ration shops. Prior to 1972-73, the retail consumer price used to be different in different areas based upon the zonal ex-factory price, transport and handling charges, etc., and the distribution was arranged through the licensed wholesale and retail dealers. Since 1972-73, the wholesale dealers have been replaced by the Food Corporation of India and other public agencies and the levy sugar is being distributed to the consumer at a uniform price throughout the country.

The ex-factory prices fixed by the Government from time to time have been challenged by the sugar producers by filing writ petitions in the High Courts and the Supreme court. In majority of the cases, the Courts permitted the sugar producers to charge higher prices pending disposal of the writ

**Moved with the recommendation of the President.

(Shri Somnath Chatterjee)

petitions. Prior to 1972-73, the incidence of higher price was ultimately Passed on to the consumer. From 1972-73, the burden of the higher prices has fallen on the non-statutory Levy Sugar Equalisation Fund being operated by the Food Corporation of India in connection with implementation of the scheme for distribution of levy sugar at a uniform price.

When the writ petitions of certain sugar mills challenging the price of levy sugar of 1971-72 and earlier sugar years were dismissed by the Supreme Court in 1972, the sugar producers contested the demand of the Government for refund of excess charges. In order to avoid millions of consumers entering in to litigation for seeking refund of the excess price paid by them and allowing the sugar producers to retain the undue collection of large sums of money, the Gverenment enacted the Levy Sugar Price Equalisation Fund Act, 1976 with a view to securing recovery of such sums from the sugar producers along with interest thereon at 12½ percent per annum, refunding the sum to the consumer of sugar who paid the higher price and utilising the unclaimed amounts for the benefit of the consumer of levy sugar as a class by maintaining uniform retail price of levy sugar.

In the light of the experience of administration of the Act and the issues arising in a number of Court cases, it has been decided to amend the Act so as to pluge certain loop-holes in the existing provisions of the Act of which the sugar producers have attempted to take undue advantage and to make the Act much more stringent. With this object in view, the Levy Sugar Price Equalisation Fund (Amendment) Bill, 1984, has been brought forward for considerotion and passing by this House. The important undue advantages which the sugar producer has attempted to take are given below :

(1) In the absence of a specific provision in the Act, excess Central Excise duty on sugar, collected as a consequence of interim higher price allowed by the Courts, is not liable to be credited to the Fund. This is sought to be covered in the amendment. The producer said, 'We will not refund the excess realisation we have made.' Therefore, we want to amend.

(2) The excess realisations made before 1972-73 are not liable to be credited to the Fund since the uniform retail price concept was introduced from 1972-73 and levy sugar has been defined in the Act to have the same meaning as was assigned to it in the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1972 in making it applicable to past cases also. We are covering this also in the amendment.

(3) The prescribed interest is not liable to be credited to the Fund as specific provison to that effect has not been made in one of the sub-sections of Sec. 3 of the Act and because the Act does not provide for payment of interest to the consumer along with refund of the excess price paid him. This is being rectified and covered in the proposed amendment.

They said, We will not pay it.' We are not providing in this Bill that they have to pay. Therefore, we are now amending to force the producer after the court cases to pay to the Fund the excess amount that they have realised from the consumer. That is what want we to do in this Bill.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (NEW DELHI) : How much is the amount?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : That has not been assessed. But as and when we find from the different consumers, then we Will be able to say that.

I would hope that with the help and co-operation of Member of this august House it should be possible to have this Amendment Bill expeditiously passed in the interest of millions of consumers so that the producers could be compelled to deposit the excess realisation including the Central Excise duty as well as provide for crediting of interest etc.

With these introductory remarks I commend this Bill for the consederation of the House.

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That the Bill to amend the Levy Sugar Price Equalisation Fund Act, be taken in to consideration."

**SHRI SATYAGOPAL MISRA (Tamluk) : Mr Chairman, Sir, the Bill that is before us for discussion seeks to amend the Levy Sugar Price Equalisation Fund Act, 1976. This Bill does not contain any such thing which calls for opposition. Hence I extend my support to this Bill. Some shortcomings have been experienced in the main Act during the course of its implementation over the last few years and this Bill has been brought forth to remove those shortcomings. I, therefore, support this Bill. But while supporting it I will raise a few questions which inevitably arise in the overall context Sir, the sugar mill owners, who produce sugar have persistently continued their exploitation in various fields. On the one hand they do not pay the legitimate price to the canegrowers for the sugarcane they buy from them and on the other hand they do not pay the rightful and legitimate wages to the workers in their sugar mills. Thirdly, they impose higher sugarprices on the masses. To check this impositions of higher prices on the masses by the sugar mill owners, to some extent, such Bills, amendments etc., have to be brought before this House. This issue will have to be studied in a comprehensine manner. How the amount due to the Government have been held up through court cases. There has been many such instances, the hon. Minister also admitted that. When the original Bill was brought before this House, it was stated that the object behind that was to fix an uniform price for levy sugar all over the country. To thwart that object and purpose, the mill owners have gone to the courts again and again and they have been able to obtain orders from the hon. High courts. Supreme Court etc., to protect their self interects. Why this situation shall be allowed to continue ? The Government fixes a price for lavy sugar but the mill owners resuse to abide by that. Why should we hear such things even so many years after independence ? Secondly, the excess payment that is being made is deposited in this Fund that has been set up. The consumers are being forced to pay a highea price or make excess payment for suger on account of the court orders. In the future these consumdrs are liable to get a refund of the excess payment made by them from this Fund. The question of this refund has all along remained in the dark. On 5th February 1976 and the 6th February 1976 when this Bill was discussed in the Lok Sabha and the Rajya Sabha respectively the same question was raised in both the Houses. At that time also no clear reply was available to this question, today also no reply will be available. I am sure. The excess amount that is recovered by the mill owners on the strength of court orders, is deposited and accumulates in this Fund. When the court orders are vacated, this amount in the Fund should be refunded to the consumers or the buyers. Now the buyers fall in two categories. One is the wholesalers, may be cooperatives also, who buy sugar from the sugar producers on behalf of the Government and then supply that sugar to various Fair Price shops etc and sell it to the general public. Now the question arises that this general public who are actually making an expess payment due to the court order, how will they get the refund ? This question was raised in 1976 and today again I wish to raise it. Has the Government any such machinery through which they can refund the excess amount to the general public ? If that cannot be done. then what is the good of bringing this amendment and passing this Bill ? It is just not possible to benefit those persons who really deserve to be benefited and who are sought to be benefited by this Bill. Off and on some such legislation is brought forth by the Government against the mill owners to whoodwink the people and or catching votes.

** The Original Speech was delivered in Bengali.

(Shri Satyagopal Misra)

In veality the Government does not have any intention of touching the mill owners. As a result of this attitude, the Government has not yet brought any piece of legislation that will really establish the interests of the public over the interests of the mill owners. The same thing can be said in the case of sugar producers also. At the very begining of my speech I had mentioned that the sugar mill owners are putting the cane growers at a loss, they are not paying rightful remuneration to the mill workers, they are cheating the Government also and imposing higher prices of sugar on the general consumbers as well. Standing in the midst of this situation we have to think what is the remedy to regulate the sugar industry whereby all the above categories may be freed from exploitation and coercion ? The only remedy appears to be the nationalisation of the sugar Industry. There is no other course open to us. If the sugar industry is nationalised, only then the real objectises of this Bill will be achieved. The general Consumers will be benefited and various loopholes through which the producers extract their advantages can be pugged. It will be possible to bestow overall benefits to all concerned through nationalisation of the industry. Therefore, while supporting this Bill, Iqurge upon the Government that it will not be possible to regulate or touch the millowners through such piece of meal legislation. Nationalisation is the only effective remedy whereby the canegrowers will get timely and legitimate price for their sugarcane, the mill workers will get justwages and the general masses will not be burdened with higher and higher prices of sugar. Cheap sugar should be made available to the people all over the country, The interests of the cane rowers should also be uppermost in our minds. I once again extend my support to this Bill with the hope that the Government will reconsider the whole issue in a comprehensive manner in the near future, on the lines enumerated by me.

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराज गंज) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे इस विधेयक की सीमा बहुत कम है, फिर भी मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र में शुगर इंडस्ट्री के सिवाय और कोई इंडस्ट्री नहीं है और जो उसकी स्थिति है उसके मुख्य कारणों में चीनी और गन्ने की मूल्य-निर्धारण नीति भी है, इसलिए मैं कुछ बातें कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। सौभाग्य से प्रभारी मंत्री बिहार के ही हैं। वह भी जानते हैं कि उत्तर बिहार में चीनी उद्योग के सिवाय कोई दूसरा उद्योग नहीं हैं। केवल शुगर मिल्स वहां हैं और उन में बिहार की 12 शुगर मिलें ऐसी हैं जो सारन और चम्पारन में हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहाँ तीन शुगर मिलें हैं सिवान में जिन की हालत बहुत ही खराब है - पंचरुखी शुगर मिल, न्यू सिवान शुगर बिल और एस के जी शुगर मिल, ये तीनों मिलें बन्द हैं। वहां के किसान पिछले पांच सात वर्षों से अपना गन्ना वो कर बैंठे रहते हैं और अभी आशा विश्वास के साथ वहाँ के लोग गन्ना वोते हैं और प्रति वर्ष जाकर मिलों को गन्ना देते हैं। वहां का जो स्टेट शुगर कारपोरेशन है उस की हालत भी बहुत खराब है। राज्य सरकार के अधीन जो न्यू शुगर फैक्ट्री ले ली गई है वहां भी प्रति वर्ष लाखों और करोड़ों का घाटा स्टेट शुगर कारपोरेशन को हो रहा है। इसलिए केन्द्रीय स्तर पर शुगर कार्पोरेशन को मजबूत किया जाए। आजकल मिल मालिको को काफी सुविधायें दी जा रही हैं, राष्ट्रीयकृत बैंको से वे काफी ऋण लेते हैं, मिलों को माडर्नाईजेशन करने के नाम पर और इस तरह से करोड़ों रुपया लेकर चले जाते हैं। ऐसा लगता हैं कि इण्डस्ट्रियलिस्ट्स इस शुगर इंडस्ट्री से काफी उदासीन होते जा रहे है और मैं समझता हूं इसकी जवाबदेही सरकार पर आयेगी। शुगर मिलों के पूंजीपतियों पर निर्भर करना इस उद्योग के साथ विश्वासघात होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय एतर पर जो शुगर कार्पोरेशन हैं उसके अधीन सिवान और न्यू सिवान शुगर फैक्टरीज को लेकर चलाने की व्यवस्था की जाए।

इन शब्दों के साथ, जो बिल माननीय मन्त्री जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : इस सदन में इस समय हम लेवी चीनी समान कीमत (निधि संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर रहे है। इसका समर्थन करते हुए आजाद साहब के शासन में चीनी मिलों के काम करने का जो तौर तरीका है उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस बिल की जो मंशा है उसका तो मैं समर्थन करता हूं, विरोध नहीं करता लेकिन यह कहना चाहता हूं कि इस बिल के प्राविजन्स को इंप्लीमेन्ट करने में सरकार को बहुत एलर्ट रहना पडेगा बरना न आपके बस में यहां के व्यापारी हैं, न वहां के कारखानेदान है। केवल चीनी के बाम ही नहीं, हर चीज के दाम इस सरकार ने बहुत तेजी के साथ बढ़ाए हैं और एक बार जिस चीज के दाम बढ़ गए फिर उसके दाम घटाना असम्भव लगता है और न ही आज तक किसी भी चीज के दाम कमी घटे हैं।

उपभोक्ताओं को आपने जो रिलीफ देने की कोशिश की है उसका मैं समर्थन करता हूं। दो तरीके की चीनी होती है - एक तो लेवी की चीनी होती है और उसके बाद मिल मालिक के पास जो अपनी चीनी बचती है उसके सम्बन्ध में भी मेरा सुझाव है कि आप विचार करें। लेवी चीनी निकलने के बाद भी उनके पास काफी बड़ा स्टाक चीनी का रहता है और लेवी की चीनी दूसरी चीनी को कंपीट नहीं कर पाती हैं। मिल मालिक उस चीनी को मनवाने दामों पर बाजार में बेचते हैं। इस सम्बन्ध में भी पुनर्विचार करके मन्त्री जी को कोई रास्ता निकालना चाहिए।

श्रीमान्, हमारे सहारनपुर मे दो चीनी फैक्टरियों पर किसानों का 7 करोड़ रुपया बकाया है - एक बालपुर शुगर फैक्टरी और देवबन्द शुगर फैक्टरी पर, अकेले देवबन्द शुगर फैक्टरी पर ही 4 करोड़ का किसानों का है और वहां पर किसानों को कोई पेमेन्ट नहीं हो रहा है। एक आलपुर शुगर फैक्टरी में तो न केवल किसान बल्कि जो वहां का वर्किंग क्लास है उसको भी पिछले तीन चार महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। मन्त्री जी कृपया इन दोनों फैक्टरियों के बारे में नोट कर लें। वहां के किसान आन्दोलन करने जा रहे हैं, भूख हड़ताल शुरू है, रोजमारी किसान भूख हड़ताल कर रहे है। दूसरी तरफ मंहगाई बढ़ती जा रही है। ऐसी हालत में उपभोक्ताओं को रिलीफ देने के साथ साथ किसानों की समस्याओं की तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के डायरेक्शन्स हैं कि यदि किसी मिल मालिक के पास किसान का पैसा बाकी रहता है तो किसान को 15 परसेन्ट ब्याज की राहत दिलाई जाए लेकिन आजतक गवर्नमेनट आफ इंडिया किसी भी फैक्टरी में कोई ब्याज नहीं दिलवा पाई है। मन्त्री जी ने भी एक बार इसी सदन में एक सवाल के जवाब में कहा था कि ब्याज तो तब दिलवायें जबकि मिल मालिक मूल देने की स्थिति में हों।

माननीय राव बीरेन्द्र सिंह जी का बयान था कि हम ब्याज तो तब दिलवायें, जब मूल देने की स्थिति में हों। जब केबिनेट स्तर का मंत्री सदन में गैर-जिम्मेदाराना बात कहे तो मिल-मालिकों के दिमाग तो खराब होंगे ही। इसको आप नहीं रोक सकते हैं। अखबारों में स्टेटमेंट छपा कि मिल-मालिकों को पेमेंट देना पिछले महीने शुरू करना चाहिए था। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होने पेमेंट नहीं दिया है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार उनको रुपया नहीं दिलवा पाई है। आजाद जी चाहे आप हों, राव बीरेन्द्र जी हो या कोई भी मंत्री हो, इस

(श्री जगपाल सिंह)

तरह का गैरजिम्मेदाराना स्टेटमेंट उनको नहीं देना चाहिए था। अभी पिछले दिनों मीटिंग में आपने मिल-मालिकों की इस तरह से सींचाई की थी कि उनको लगा कि अब की बार गवर्नमेंट आफ इंडिया हमको बख्शने वाली नहीं है। लेकिन राव बीरेन्द्र जी के बयान ने आपकी सारी कोशिशों को नाकामयाब कर दिया। पता नहीं आपके ऊपर राव बीरेन्द्र जी का दबाव पड़ा या प्रधान मंत्री जी का दबाव पड़ा, यह तो आप ही बतायेंगे।

एक माननीय सदस्य : चुनाव का दबाव है।

श्री जगपाल सिंह : हो सकता है, चुनाव का दबाव हो। लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर किसान को पैसा नहीं मिला और उपभोक्ता को सही दाम पर चीनी नहीं मिली, तो मिल मालिक आपको जिताकर भेजने वाले नहीं है। वे आपको बिल्कुल भी नहीं भेज पायेगे। आप मिल-मालिकों से पैसा ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं ले सकते हैं।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस मंशा के साथ आप यह बिल लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप किसी के दबाव में न आकर सही रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे ताकि इस बिल की मंशा पूरी हो। इन शब्दों के साथ सभापति जी, मैं अपनी बात खत्म करते हुए माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की दो मिलों की ओर आकर्षित करता हूं। इन दोनों मिलों में किसानों का सात करोड़ रुपया बकाया है जिसका पेमेंट पिछले चार महीने से नहीं हुआ है। किसान मिल के गेट पर भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उत्तर प्रदेश की सरकार पर दबाव डालकर पेमेंट कराने की प्रक्रिया को शुरु करायें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बिल लैवी शुगर इक्वेलाइजेशन फण्ड का समर्थन करता हूं। जैसा कि स्टेटमेंट आफ अबजैक्ट्स एंड रीजन्स में आपने कहा है—

> "excess price charged by the producer but also any amount charged by the producer by way of duties of excise in excess of the amount payable by such duties"

एक्सैस प्राइस या एक्सैस ड्यूटी आप ज्यादा चार्ज कर लें, लेकिन आप इस एमाउन्ट को किस तरीके से वापिस दिलायेंगे। इसके संबंध में इस बिल में आपने क्या किया है। इस फायदा रिटेलर को जिसने कि लैवी की शुगर प्राप्त की है, उसको किस प्रकार से मिलेगा और मिलने में कितना समय लगेगा? चूंकि आपके रिटेलर समय-समय पर बदलते रहते हैं और जो रिटेलर कन्ज्यूमर को देते हैं, उस कन्ज्यूमर को लैवी की शुगर मंहगी दी गई है, तो भविष्य में उसको यह किस प्रकार से वापिस की जाएगी व्यवस्था यह होनी चाहिए कि भविष्य में शुगर सस्ती मिले। इस बारे में आपने क्या व्यवस्थां की है, इस बारे में मैं जानना चाहता हूं।

दूसरे आपने लैवी शुगर की डेफिनिशन रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से दी है।

क्या इस को रिट्रास्पैक्टिव इफैक्ट देने से लेवी-शुगर की डेफिनीशन में किस प्रकार का फर्क पड़ गया है? रिट्रोस्पैक्टिव इफेक्ट का क्या मतलब है इस बारे में मैं जानना चाहता हूं।

तीसरा प्वाइन्ट क्लाज (सी) में आपने कहा है कि इन्टरेस्ट साढ़े बारह परसेन्ट होगा, यदि समय 60 दिन का होगा, यदि 60 से एक्सेस दिन हो जायेंगे तो इन्टरेस्ट 15 परसेन्ट होगा। आप 15 परसेंट आ इन्टरेस्ट किस तरह से लेंगे? इस के पीछे आप का क्या मकसद है? जब एक्सेस प्राप्त कर लिया है तो 15 परसेन्ट ब्याज प्राप्त करना चाहिये। आप किसी भी इंस्टीचूशन में देख लीजिये, जो इंस्टीचूशन पैसा देती है, वह कभी भी इस प्रकार का फर्क नहीं रखती है कि 60 दिन में 12 परसेन्ट और उसके बाद 15 परसेन्ट वसूल करेंगे। इसका बेसिज क्या है, आप ने यह फर्क क्यों रखा है, इसके बारे में हमें बतलाइये ?

In (1) of the Statement of Objects and Reasons it is said :

> "It is also being provided with retrospective effect that in respect of any period during which any excess realization is, by reason of any order of court, held by the producer with any other person or a bank or the Government, the producer will be liable to pay by way of interest only such amount, if any, as has accrued by way of interest in respect of such period....."

इसके बारे में हम यह जानना चाहते हैं—यह कोर्ट के आर्डर सी क्या बात है ? जो आदमी एक्सेस पैमेन्ट ले लेता है तो जितना एक्सेस लिया है उसका इन्टरेस्ट पे करना चाहिए। आपने इस में बेइमानी का एक रास्ता निकाल दिया है कि कोर्ट का आर्डर होगा तो एक्सेस एमाउन्ट जो होगा, उसका इन्टरेस्ट पे करना होगा, कोर्ट का आर्डर नहीं होगा तो इन्टरेस्ट पे नहीं करना होगा—यह फर्क क्यों रखा है ? उसने जो भी एक्सेस एमाउन्ट प्राप्त किया है, उस पर इन्टरेस्ट लेना चाहिए। कोर्ट का आर्डर हो या न हो, इसमें फर्क नहीं होना चाहिये।

(d) of the Statement says :

> "According to sub-section (4) of section 3 of the Act, during the pendency of proceedings in any court challenging the price fixation order it shall not be necessary for the producer to credit the difference between the controlled price and the higher price charged to the Fund unless the court which made the interim order so directs."

जो आदमी कोर्ट में चेलेन्ज करता है—आपकी प्राइस को-और उसके तेहत ज्यादा पैसा ले लेता है तो जो ज्यादा पैसा लेता है उसको वापस दिलवाने की व्यवस्था होनी चाहिये। अगर वह कोर्ट में चला जाता है तो इसका मतलब है कि आपने जो प्राइस फिक्स की है क्या उससे ज्यादा पैसा वसूल कर लेगा ? मेरे ख्याल में यह गलत धारणा है। जो पूंजीपति हैं, जिन्होंने शुगर इण्डस्ट्री लगा रखी है वे निश्चित तरीके से कन्ज्यूमर और रिटेलर से ज्यादा पैसा वसूल करेंगे, इसको रोकने के लिए इस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए।

(d) of the Statement also says :

> "...However, as arguments have been advanced on the basis of this provision that even after the disposal of the proceedings, the excess realisation as determined in accordance with the decision of the court need not be credited to the Fund unless a specific order to that effect is made by that court..."

अगर स्पेसिफिक आर्डर कोर्ट नहीं देती है तो वह पैसा फण्ड में जमा नहीं होगा, जबकि वह उसके पास एक्सेस एमाउन्ट है। उसने एक्सेस कीमत वसूल की है, ऐसी हालत में

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

जितनी एक्सेस कीमत उसने वसूल की है वह फण्ड में जमा होनी चाहिये। यह जो प्रावधान किया गया है यह कन्ज्यूमर के हित में नहीं है, इसलिए इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है।

(e) of the Statement says :

"...With a view to securing speedy crediting of such amounts to the Fund (which incidentally would also help the producers concerned in reducing their liability towards interest), provision is being made for crediting of such amounts by such third parties directly to the Fund (*vide* sub-clause (f) of clause 3 of the Bill.)

इसमें भी आपने फण्ड में एक्सेस अमाउन्ट डालने की कोई व्यवस्था नहीं की है। इसमें एक्सेस अमाउन्ट के बारे में है—

"At present, the amount representing excess realisations held by a producer with a third party by virtue of an order of court cannot be credited to the Fund directly by such third party as the liability is cast on the producer to credit to the Fund the excess realisations."

तो जिसने एक्सेस अमाउन्ट रिएलाईज किया, उसको अगर कोर्ट की तरफ से आर्डर हो गये कि वह पैसा थर्ड पार्टी के पास जमा कर दो तो वह पैसा थर्ड पार्टी के पास जमा रहेगा जबकि यह पैसा फण्ड में जमा होना चाहिए न कि थर्ड पार्टी के पास जिससे कि इसका फायदा फण्ड को मिल सके।

"Section 6 of the Act which provides for refund of excess realisation to buyers of levy sugar is intended to be available only to such buyers as had not passed on the incidence of excess price to other persons. It is proposed to make this intention clear with retrospective effect by providing that refund will not be allowed under the section to buyers of levy sugar who are not dealers but who had passed on the incidence of the excess price as part of the price of any product in the manufacture of which the levy sugar purchased by them had been or, as the case my be, to the consumer by whom the price of such sugar was paid. The section is also being with retrospective effect to provide that refund would be made under the section not only of excess realisation but also of the interest, if any, thereon which has been credited to the Fund."

इसका मतलब यह हुआ कि आपने जो पैसे की वापसी की, उसका लाभ कंज्युमर को तो नहीं हुआ। आपने इस क्लाज के जरिये से जो ऐक्सेस प्राइस ली वह कंज्युमर को वापिस नहीं होगी। आपको यह देखना चाहिए कि आपने जो एक्सेस अमाउन्ट लिया है भविष्य में उसका लाभ कंज्युमर को मिले। यह ठीक है कि सभी कंज्युमर को तो पैसा वापिस नहीं हो सकता है लेकिन आप रिटेलर के जरिये से कंज्युमर को सस्ती शुगर उपलब्ध करा सकते हैं। इस सम्बन्ध में भी व्यवस्था करना नितांत आवश्यक है। जो एक्सेस प्राईस वसूल की गई है उसके एवज में कंज्युमर को आप सस्ती शुगर दिलाने की व्यवस्था करें।

"Section 11 of the Act which provides for recovery of excess realisation as arrears of land revenue is being amended to provide that interest on excess realisations which is required to credited to the Fund can also be recovered in the same manner."

आप एक्सेस प्राईस के हिसाब से इन्ट्रेस्ट वसूल कर सकते हैं। यह ठीक है।

ये जो बातें मैंने आपसे निवेदन की हैं, मैं समझता हूं कि आप इन बातों पर गौर फर-मायेंगे और जो एक्सेस प्राईस वसूल की जानी है, वह अल्टीमेटली कंज्यूमर को वापस पहुंच सके और उसे सस्ती शुगर उपलब्ध हो सके, इसकी आप कोई व्यवस्था करेंगे।

इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं इस पर कुछ अधिक नहीं कहना चाहूंगा। यह जो संशोधन विधेयक है, इस पर बोलते हुए मैं सिर्फ एक बात की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहूंगा। यह बिल 1976 में पास हुआ था। उसका यह संशोधित रूप आया है। सन् 1976 में एमर्जेंसी लागू थी। उस एमर्जेंसी से अब क्या लेना देना है। लेकिन मैं एक सवाल पर सरकार से बुनियादी जान-कारी चाहूंगा।

ये बिल कौन लोग बनाते हैं? बिल पास हो जाने के बाद मामला कोर्ट में चला जाता है और उसके बाद फिर सरकार को संशोधित करना पड़ता है। मैं नहीं समझता कि कोई गांव का आदमी बैठकर बिल बनाता है। बिल बनाने वाले सरकारी अफसर होते हैं जिनके ऊपर सरकार का काफी खर्चा होता है। फिर सरकार स्वयं भी बिल को पास करती है। तो ऐसा एक बिल नही है, हजारों बिल मिलेंगे जिनमें जानबूझ कर लूपहोल छोड़ दिए जाते हैं या जानबूझ कर कोई खराबी कर रख दी जाती है जो कि कभी वर्कर के इन्ट्रेस्ट में नहीं जाती है। वह चीज मालिक लोगों या बड़े-बड़े लोगों के इन्ट्रेस्ट में जाती है। जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो सरकार फिर परेशान होकर पार्लियामेंट के सामने संशोधन विधेयक लाती है। इसलिए मेरा सरकार के सामने सुझाव है कि एक स्टेंडिंग कमेटी क्यों नहीं बनाई जाती जो इन कानूनी दाव पेचों को देखे। इसलिए कोई इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे भविष्य में कंज्यूमर्स का नुकसान न हो। किसान को परेशानी न हो। कानून की आड़ लेकर बड़े बड़े लोग फायदा न उठा सकें। भविष्य में कोई भी बिल लाया जाए तो बहुत सोच समझ कर कानूनी दांव-पेचों को देखकर लाने की कोशिश की जाए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जो गन्ना उत्पादक हैं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उनका मिल मालिकों पर काफी पैसा बकाया है। सरकार के बार बार आश्वासन के बावजूद अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। जनता पार्टी की सरकार के समय किसी का एक पैसा भी बकाया नहीं रह गया था। अब चार साल के अन्दर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई है।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टस गंज) : आपके समय में तो गन्ना खेतों में जलाया गया था।

श्री राम विलास पासवान : आजकल तो लकड़ी का भाव गन्ने से चौगुना हो रहा है।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि किसी भी पार्टी की हुकुमत हो, बड़े लोगों द्वारा किसानो का शोषण नहीं होना चाहिए। आजाद साहब तो बहुत ही प्रोग्रेसिव विचारों के हैं। पिछली बार भी उन्होंने आश्वासन दिया था। हमें विश्वास है कि अब वे निश्चित रूप से किसानों की परेशानी को दूर करेंगे।

ज्यादा समय न लेते हुए मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि इस बीमारी का एक ही

(राम विलास पासवान)

इलाज है "नेशनलाइजेशन" । सरकार इसको अपने हाथ में ले । जब तक राष्ट्रीयकरण नहीं होगा तब तक बड़े लोगों से किसान को न्याय नहीं मिल सकता । सरकार के हाथ बंधे रहेंगे । इसलिए आम लोगों के हित में यहीं सबमे अच्छा उपाय है कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कीजिए । इससे कंज्यूमर्स का शोषण यहीं होगा और किसानों का शोषण नहीं होगा ।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगांव): सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

यह एक्ट 1966 में लाया गया और अब इसमें संशोधन किया जा रहा है । अभी तीन प्रकार से चीनी मिल चल रहे हैं । एक सरकारी क्षेत्र में हैं, एक निजी क्षेत्र में हैं और एक सहकारिता के आधार पर चलते हैं । इस तरह से अलग अलग राज्य में पेमेंट का तरीका अलग हो सकता है । इसी तरह से अनुभव भी अलग अलग हो सकते हैं । इस साल चीनी के उत्पादन में भारी कमी आई हैं । हिन्दुस्तान के अंदर 40 प्रतिशत चीनी का उत्पादन कम हुआ और विश्व में 6 प्रतिशत की कमी आई है । देश को चीनी का आयात करना पड़ा और अगले वर्ष भी 60 लाख टन से ज्यादा उत्पादत होने की संभावना नहीं है । देश में 1102 लाख टन का चीनी का चीनी का स्टाक है । लेकिन मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि किसान को सही दाम मिलने चाहिए । आज कृषि मंत्री जी ने जवाब दिया है कि आंध्र और महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादन का खर्च कम से कम 16 रुपए प्रति क्विंटल है और महाराष्ट्र में कम से कम 15 रुपए गन्ने का दाम तय किया गया है । जब किसान को दाम कम मिलते हैं तो गन्ने की बुआई कम होती है । गए साल काफी बकाया था । छठी पंचवर्षीय योजना से 60 करोड़ रुपए प्लान से भारत सरकार ने एडवांस दे दिए । 154 करोड़ रुपया अभी तक किसान का मिल मालिकों पर बकाया है । जब चीनी का उत्पादन कम होता हैं तो उसका असर मूल्यों पर भी पड़ता हैं । इसके साथ साथ अलकोहल इंडस्ट्री और कागज उद्योग भी इससे प्रभावित होते हैं और अन- एंप्लायमेंट का सवाल भी आ जाता है ।

जब दूसरे मुल्को से चीनी आयात की जाती है तो उपभोक्ताओं को महंगे दामों पर देनी पड़ती है । इसलिए, मैं यह आग्रह कर रहा हूं कि लेवी चीनी के दाम ठीक रखे जाने चाहिए जितना दाम बढ़ाया जाए, उतना ही किसानों को भी दिया चाहिए चाहे । इसके लिए चीनी मिलों को निर्देश दिए जाने चाहिए चाहे वह प्राईवेट, सैक्टर में हो या गवर्नमेंट अन्डरटेकिंग हो । के उत्पादन में हमारे देश का नम्बर पहला था । था ! लेकिन अभी जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है, वह हमारे हित में नहीं हुआ है । पांच साल के लिए कम से कम चीनी उद्योग की नीति होनी चाहिए । हमने ईस बिल का समर्थन किया है । जब लेवी चीनी के दाम कम हो गए तो सभी हाईकोर्ट में चले गए और स्टे-आर्डर ले आए । इस प्रकार उनको ज्यादा दाम प्राप्त करने की राहत मिली । मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान में चीनी मिलों का कारोबार ठीक से नहीं हो रहा है । बकाया के बारे में इंटरेस्ट दिखाते है लेकिन इंटरेस्ट नहीं देते हैं । फण्ड इक्वेलाइजेशन के बारे में महाराष्ट्र का एक उदाहरण देना चाहता हूं । चीनी मिलों का दाम बनता है चालीस करोड़, लेकिन इंटरेस्ट दिया जाता है 44 करोड़ । इसके कारणों का पता नहीं है । मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जरा शांति से सोचें । किसानों को बकाया किस प्रकार से दिया जा सकता है,

इस बारे में सोचना चाहिए । लेवी चीनी की जो यूनिफार्म पालिसी है, वह बहुत अच्छी हैं । हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में एक ही लेवी चीनी 65 परसेंट होती है जबकि खुली चीनी 35 परसेंट होती है । जब हम ज्यादा रिलीज करते हैं तो बाजार मूल्य कम हो जाते हैं । इसके वजह से किसानों को जितना दाम मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है । सहकारी आन्दोलन से महाराष्ट्र और गुजरात में कभी भी चीनी का उत्पादन नहीं घटा । गन्ने के दाम ठीक मिलने के कारण यह हुआ हैं । कानून के हिसाब से जो कुछ होगा, वह तो ठीक हो होगा । मैं यह चाहता हूं कि कुछ ऐसा काम होना चाहिए जिससे किसान भी संतुष्ट हो और उपभोक्ता को भी राहत मिले कि हम रे लिए कुछ-न-कुछ हो रहा है । गन्ने के दाम कम होने मे किसान व उपभोक्ता दोनो को कठिनाई होती है । जब हम लोग टर्म प्लानिग करे तो किसानो के हित में अवश्य सोचें मैं इस बिल का समर्थन करता हूं कि लेवी प्राइस बढ़ाई जाए और किसानों को अधिक से अधिक गन्न के दाम दिए जाए । इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं ।

17.00 hrs.

(MR. DEPUTY-SPEAKER : *in the Chair.*)

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, यों तो मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन यह बात सत्य है कि विगत आठ वर्षों से सरकार ने एक्सेश वसूली की तरफ ध्यान नहीं दिया । यदि पहले इस पर विचार किया गया होता तो इससे तीन वर्ग प्रभावित होते हैं - पहला गन्ना उत्पादक, दूसरा मजदूर और तीसरा उपभोक्ता, उन तीनों को भी अधिक वसूली और शोषण से बचाया जा सकता था । परन्तु सरकार को शायद पता ही नहीं लगता है । बल्कि मिल-मालिकों या एक्सप्लायट करने वालों की तरफ से पैरवी होने के बाद ही कानून में संशोधन किए जाते हैं । यदि चीनी मिलों के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाया जाता, जिन पर ये चीनी मिलें खड़ी हैं, जिनके जरिए देश के करोड़ों लोगों की चीनी की आवश्यकता पूरी की जाती है तो वह जनता के हित में होता । लेकिन उन गन्ना उत्पादकों, मजदूरों और उपभोक्ताओं के हितों की तरफ कोई नहीं देखता, बल्कि उसके स्थान पर शोषक लोगों का हित देखा जाता है, जो समाज में कोढ़ की बीमारी की तरह हैं और लगातार शोषण करते जा रहे हैं । उनके ही चोर दरवाजे से पैरवी करवाने के बाद हम कुछ कार्यवाही करते हैं । अब वसूलियाँ अधिक ब्याज लेकर की जाएगी ।

जहाँ तक केन्द्रीय निधि या राजस्व से देने का प्रश्न है, खासकर बिहार में भी 30 करोड़ रुपया बकाया है । इसके अलावा यू. पी. और अन्य प्रदेशों में भी है । सारी राशि लगभग 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बनती हैं जो कि अदा की जानी है और जिसके लिए गन्ना उत्पादक समय समय पर हंगामा मचाते रहते हैं । परन्तु उनकी बातों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता । यदि उसके स्थान पर उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता, मिल औनर जिस तरह अधिक पैसा वसूल करते हैं, उस लाभांश में मजदूरों को भी शामिल किया जाता तो हम उनका हित कर सकते थे । परंतु अब तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया उस विषय पर हमें विचार करना चाहिए और हमारी रियलिस्टिक एप्रोच होनी चाहिए । लेकिन किसी खास कारण-वश या जैसा हमारे कुछ मित्रों ने भी कहा, आने वाले चुनावों को मद्देनजर रखते हुए भी कुछ निर्णय लिए जाते हैं । मन्त्री जी भी हंस रहे हैं, क्योंकि मैंने जो कुछ कहा वह सच्चाई पर आधारित है । यदि चीनी के बारे में

(श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा)

देखा जाए तो वह हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, भले ही कुछ लोगों के लिए हानिकर हो या कुछ लोगों के लिए लाभप्रद हो। हमारे देश में 70 लाख टन चीनी की प्रति वर्ष आवश्यकता है। जैसा आपने बताया इस समय हमारे यहां स्टाक में लगभग 102 लाख टन चीनी जमा है, तो आवश्यकता के हिसाब से भी वह ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप विदेशों से और चीनी मंगवाना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पाया कि उसकी क्या जरूरत है और क्यों आप इम्पोर्ट करना चाहते हैं। यदि आप इम्पोर्ट भी करते हैं तो क्या बाजार में चीनी का भाव गिर जाएगा। हमारी गलत नीतियों का ही परिणाम है कि चीनी का दाम बढ़ता ही जा रहा है। लेवी शुगर और ओपन मार्केट में मिलने वाली शुगर के दामों के बीच में दो-ढ़ाई रुपये का प्रति किलो का अन्तर है। उसके कारण मारे देश में चीनी का ब्लैक चलता है, अवैध व्यापार चलता है। चूंकि हमारे मित्र बीच-बीच में टोक रहे हैं, इसीलिए मैं उनकी बातों का उत्तर देना चाहता हूं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि हमारी गलत नीतियों के कारण ही, हमारी डुएल पौलिसी के कारण ही, दोहरी नीति के कारण ही शुगर का हमारे देश में अवैध व्यापार होता है और इस कारण हमारे देश के 70 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं और चीनी के लिए उनको अधिक दाम देने पड़ रहे हैं। और उनको अधिक दाम देना पड़ रहा है और जितने मिल मालिक हैं वह फायदा उठा रहे है, बिचोलिये, ब्लैक मार्केटियस, होर्डर्स फायदा उठा रहे हैं। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। इस कुव्यवस्था को आपको रोकना चाहिये।

अभी समान दाम नीति आप कर रहे हैं, यह अच्छी बात हैं। लेकिन इसका आम जनता पर क्या असर पड़ता है यह भी आपको देखना चाहिए। हर जगह शुगर कोरपोरेशन बनी हुई हैं, यह सब खाली चोरी कर रही हैं। इनको यदि चोर कोरपोरेशन कहा जाए तो गलत न होगा। इनमें सुधार की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। अभी जैसे 40 करोड़ बकाया है तो 44 करोड़ उस पर ब्याज ही लगाया जा रहा है। यह कैसी व्यवस्था है ? क्या सरकार ने कभी इस ओर ध्यान दिया है ?

अगर चीनी उत्पादन को बढ़ाना है और किसानों को उचित मूल्य भी देना है और उसका प्रतिदाय आप ठीक से वसूल करेंगे कि नहीं, इस बारे में क्या व्यवस्था है ? यह सब कमियां हैं जिनको दूर करने के लिए सरकार को संशोधन करना चाहिए। केवल बड़े लोगों के फायदे के लिए ही संशोधन नहीं करना चाहिए। हमारी व्यवस्था से आम जनता को कितना लाभ मिलता है वही अच्छा होता है। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि चीनी का जो घपला है और बाहर से जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, यह केवल कमीशन खाने का धन्धा है जिसमें ब्यूरोक्रेट कमीशन खा जाते है। हम भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो यह सब गड़बड़ क्यों चल रही है ? इसके पीछे क्या राजनीति है, समझ में नहीं आता। मन्त्री जी चूंकि बैठने के लिए कह रहे हैं, इसीलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

प्रो० सत्य देव सिंह (छपरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस लेवी चीनी समान कीमत संशोधन विधेयक, 1984 का समर्थन करता हूं और मन्त्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। माननीय रामविलास पासवान जी ने कहा कि विधेयक बनता है तो न्यायालय उसमें संशोधन करता है। इसलिये विशेषज्ञों की स्टेंडिंग कमेटी बनानी चाहिए। मैं जहां तक समझता हूं विधेयक समय के अनुसार बनाये जाते है और समय की प्रगति

के अनुसार संशोधन भी किया जाता है। मैं उनके विचार से सहमत हूं कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये क्योंकि चीनी मिल मालिकों द्वारा किसानों का बड़ा शोषण होता है हमारे संसदीय क्षेत्र छपरा में एक मरहौरा चीनी मिल है जिस पर कई सालों का किसानों का पैसा बकाया हैं। कोई सामान बेचता है तो उसको अपने माल की कीमत मिलती है। लेकिन गन्ना उत्पादक उससे वंचित रहता है। किसान जब अपना गन्ना मिल में लेकर बैलगाडी पर जाता है तो 3, 4 दिन तक उसकी बैलगाड़ी फैक्ट्री के दरवाजे पर खड़ी रहती है, बाद में उनको पर्चा मिल जाता है जिसमें ब्लैक मेंलिग होती है जिससे किसानों को बड़ी परेशानी होती है। इसलिए प्रदेश सरकार पर आप अपना प्रभाव डालें ताकि किसानों को यह परेशानी न हो। और जब वह अपनी ईख मिल में दें तो तत्काल पैसा उनको मिल जाये जिससे वह अपने भरण-पोषण की व्यवस्था कर सकें और अपने जीवन-यापन के साधनों का समुचित उपयोग समय पर कर सकें।

मढौरा की रेल लाइन छोटी लाइन थी वह बिक गई है। हमारे संसदीय क्षेत्र में एकमात्र मढ़ौरा चीनी मिल है, उसके चले जाने के बाद अपार जनता को असुविधा होगी। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस संकट से हमारे क्षेत्र के लोगों को बचावें।

मेरे भाई श्री आर० एन० पी० वर्मा ने कहा कि विदेशों से चीनी का आयात होता है और इसमें कमीशन की व्यवस्था होती है। मैं नहीं समझता कि यह सन्देह उनके मन में क्यों है ? जब किसी सामान का अभाव होता है तो सरकार सोचती है कि नागरिकों की समस्या को दूर करने के लिए अगर विदेशों से सामान आयात करना पड़े तो वह करके इस प्रकार से देश के संकट को दूर करे। माननीय सदस्य कहते हैं कि पूंजीपतियों के हित में विधेयक में संशोधन किया जा रहा है। मैं नहीं कह सकता कि यह बात कहां तक सही है, लेकिन आमतौर पर जनता के मन में यह धारणा है कि भारतीय जनता पार्टी, जोकि जनसंघ का परिवर्तित और परिवर्द्धित रूप है, यह पूंजीपतियों की पार्टी है और जनता का ये शोषण करते हैं। यह कैसे किसी दूसरे पर आरोप लगाते हैं ?

हमारी कांग्रेस (आई) की पार्टी प्रगतिशील है। उस पर इस प्रकार का आरोप लगाना कम-से-कम उनके लिए शोभा नहीं देता, जिनके लिए सामान्य रूप से सर्वविदित है कि यह पूंजीपतियों के हामी हैं, उनके ठेकेदार हैं। इस तरह का आरोप माननीय सदस्य के मुंह से हास्यास्पद लगता है।

मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि मढौरा चीनी मिल की आज जो दुर्दशा है, किसानों का पैसा बाकी है, मजदूरों को वेतन नहीं मिलता है, वहां की रेल पटरी उखाड़ दी गई है, जमीन बेचे जाने की व्यवस्था हो रही है, इस तरह से यह चीनी मिल समाप्त होने के बाद भारी संकट इस उद्योग में आयेगा, मन्त्री महोदय इसको बचाने की कृपा करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं।

*SHRI M KANDASWAMY (Tiruchengode) : Mr. Deputy Speaker, sir, on behalf of my party the Dravida Munnetra Kazhagam, I rise to say a few words on the Bill which seeks to amend. The Levy Sugar Price Equalisation Fund Act, 1946. Firstly, it has taken 8 years for the Government to plug the

*The original speech was deliverd in Tamil.

(Shri M. Kandaswamy)

loopholes found in the parent Act passed in 1976. Secondly, through this amending Bill, the definition of "levy sugar" as contained in the Levy Sugar Supply (Control) order, 1972, is being made self-contained. I wonder whether this should take 12 years for the Government. One gets the suspicion whether the Government had derived any benefit from this delay of 12 years in defining "levy sugar" properly.

But it is certain that this delay has led to the exploitation of consumers as also the sugarcane cultivators. They have become the victims of the inordinate delay in having the loopholes and decliencies in the parent Act plugued by the Government. Meanwhile the sugar production has declined steeply. Last year the sugar production was 82 lakh tonnes and this year it has come down to 48 lakh tonnes. The primary reason for this decline in sugar production is that the sugarcane growers have not been getting remunerative prices. When they do not get remunerative prices and when the sugar mill owners do not pay them the dues in time, naturally they are disinclined to take to sugarcane cultivation. When the sugarcane cultivation declines' it is reflected in sugar production. It is not only that we are not able to export sugar but we are compelled to import sugar to meet the local requirements.

In Tamil Nadu the sugarcane cultivators are getting only Rs. 165 per tonne. It should be raised to a minimum of Rs. 250 per tonne. The ruling party in Tamil Nadu is in cmplicity with the sugarmill owners and thus injustice is perpetrated on sugarcane cultivators.

**

I refer to this because it has happened in Tamil Nadu, Thus the sugarcane cultivators are done injustice.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna) : Sir, he is levelling a charge. **

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Kandaswamy, when you make an allegation, you must give it in writing to me and then only you can make that allegation. Anyway, I will go through the records and see what you have said.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER : I am only quoting the rules. If any allegation is to be made, you have to give in writing. I will go through the record and if it is according to the rules. I will permit. No allegation can be made in the House unless you give it in writing.

SHRI M. KANDASWAMY : I said that the cane-growers are not getting a fair price. The Government have not fixed remunerative price for the cane-growers. I am not making any allegation. I am only saying that the cane-growers should get proper price.

MR. DEPUTY SPEAKER : You have made an allecation. Therefore, I say that I will go through the record. You cannot make an allegation without giving it in writing to the Chair.

SHRI M. KANDASWAMY : I understand that the sugar stocks on hand would last only for two months. I do not know what the Government propose to do to meet the sugar requirement. If it is ensured that the sugarcane growers are enabled to get remunerative price, then the sugarcane cultivation will not decline. Presently the sugarmill owners are taking both the sugarcane cultivators and the common people for a ride. In order to ensure that the sugar production does not further slide back, the Central Government should nationalise immediately all the sugarmills in the country Then only the sugarcane growers and the common people will get justice. If the Central Government nationalises all the sugar mills in the country, then my party the Dravida Munnetra Kazhagam will extend full support to it. with these words I conclude my speech.

**Not recorded.

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जो लेवी चीनी समान कीमत निधि अधिनियम, 1976 में संशोधन करने वाला विधेयक पेश किया है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह जो बिल पेश हुआ है उसमें हमको कुछ भ्रम हो रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी इसका निवारण करें। इस का मतलब शायद यह है कि समूचे देश में लेवी चीनी का मूल्य एक समान हो। लेकिन समूचे देश में, दक्षिण भारत में जो चीनी मिलें हैं और उत्तर भारत में जो चीनी मिलें हैं दोनों में बड़ा अन्तर हैं। दक्षिण भारत में 12-13 परसेंट तक होती है और वहां की उपज भी उत्तर भारत को गन्ने की उपज से बहुत अधिक है। उत्तर भारत में हालत यह है कि नौ दस परसेंट से अधिक रिकवरी कभी नहीं हुई। तो जहां एक तरफ नौ दस परसेंट रिकवरी होगी और दूसरी तरफ दूसरे प्रदेशों में 12–13 परसेंट रिकवरी होगी, दोनों में बहुत अन्तर पड़ जाता है दक्षिण भारत के जो गन्ना किसान हैं उन की लागत के कम्पेरिजन में उत्तर भारत मे लागत भी अधिक है। उत्तर भारत में उपज भी कम है, लागत अधिक है और रिकवरी कम है। मैं समझता हूं कि अगर यह स्थिति रही तो क्या उत्तर भारत की चीनी मिलें रह पाएंगी ?

मैं समझता हूं आज उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी मिलों की हालत जर्जर हो चुकी है और जो मौजूदा स्थिति है और जो नियम हैं उनके रहते इस बात का डर है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी मिलें रहें ही नहीं। केवल उत्तर प्रदेश में 95 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के बकाया है और शायद 47 करोड़ बिहार में बकाया है। दूसरी ओर दक्षिण भारत में जो बकाया होगा वह नहीं के बराबर होगा। अभी मेरे मित्र ने चीनी मिलों का विश्लेषण करते हुए बताया था कि दक्षिण भारत की चीनी मिलें अधिकांश रूप में कोआपरेटिव बेसिस पर चलती हैं, इनके बैलेंस-शीट बनते हैं और जो नफा होता है वह किसानों और मजूदरों में बांटा जाता है लेकिन उत्तर भारत में ठीक इसके विपरीत स्थिति है। मन्त्री जी कृपया स्पष्टीकरण देने की कृपा करेंगे कि मैंने जो अन्तर उत्तर भारत और दक्षिण भारत का बताया है उसके ऊपर कोई ध्यान दिया जायेगा ? यदि नहीं तो उत्तर भारत की चीनी मिलें सदा के लिए समाप्त हो जायेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो नियम बन रहा है, इससे पहले भी कुछ नियम बने हैं। केन्द्र की ओर से एक यह भी नियम बना हुआ है कि किसान जो गन्ना सप्लाई करे उसका पेमेन्ट यदि 15 दिन में न कर दिया जाए तो उस पर किसान को इन्ट्रेस्ट दिया जायेगा। लेकिन तीन साल हो गए, अरबों रुपया किसानों के बकाया हैं, क्या कहीं पर उस रूल का पालन किया गया है ? इन तीन सालों में खास तौर से उत्तर भारत के गन्ना किसान तो तबाह हो गए हैं। उनके घर में पर्चियां रखी हैं लेकिन वे शादी-ब्याह करने के लिए तरस रहे है। वे अपने लड़कों की फीस भी नहीं दे पाते हैं। आपका कानून तो है लेकिन क्या उस पर अमल किया गया हैं ? हमारे पास भी दस-बीस हजार की पर्चियां पड़ी हुई हैं। हमारे ऊपर जो कोआपरेटिव का बकाया है वह वसूल किया जाता है, मालगुजारी भी वसूल होती है, जितना भी किसानों पर देय है उसकी वसूली की जाती है और न देने पर उनको हवालात में भी बन्द कर दिया जाता हैं लेकिन हमारे गन्ने के बकाए के लिए कोई भी माई-बाप नहीं है। जो कानून है उस पर यदि अमल किया जाता तो किसानों को दाम मिल जाता लेकिन वह नहीं हुआ।

(श्री राम नगीना मिश्र)

अभी हमारे भाई ने शंका प्रकट की कि अगले साल कम गन्ना होगा। मैं स्वयं किसान हूं, मैं बताना चाहता हूं कि पिछले साल किसानों को अच्छी गन्ने की कीमत मिली थी और 80 लाख टन चीनी का उत्पादन भी हुआ था लेकिन पार साल अरबों रुपया किसानों का बकाया रहा। हम उत्तर प्रदेश के तमाम एम० पीज० इन्दिरा जी के पास गये थे और उनसे अनुनय विनय की थी तो सेन्टर की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन दिया गया जिससे काफी बकाया बेबाक किया गया परन्तु फिर भी बहुत बकाया रह गया था। इस साल भी वही हालत है। अगर किसान को गन्ने का दाम नहीं मिलेगा तो वह गन्ना क्यों बोयेगा। यह सही है कि इस साल कम चीनी पैदा हुई और भविष्य में और भी कम चीनी का उत्पादन होगा यह बात सत्य है। मैं समझता हूं गन्ने की नीति ही दूषित है। यदि 100 क्विटल चीनी पैदा होती है तो उसमें से 65 क्विटल चीनी लेवी में ले ली जाती है और मिल मालिक के पास 35 क्विटल चीनी बचती है। लेकिन आश्चर्य है कि जो किसान गन्ना पैदा करता है उसको कन्ट्रोल के दाम पर चीनी नसीब नहीं होती है। क्या यह किसान के साथ अन्याय नहीं है कि उसको गन्ने का दाम भी न मिले और कन्ट्रोल रेट पर चीनी भी न मिले? हम गन्ने की खेती करते हैं, उसमें हमारा हक नहीं रहता है। क्या यह जरूरी नहीं है कि इस कानून में अमेंडमेंट किया जाए कि गन्ना बोने वाले किसान को भी रिटेल दाम पर चीनी मिले। शादी ब्याह में किसान को फ्री-कन्ट्रोल की चीनी खरीदनी पड़ती है, जबकि 20 हजार की पर्ची गन्ने की किसान के पास होती है। उधर मिल-मालिक 35 प्रतिशत चीनी मनमाने दामों पर बेचता है। आप कह सकते हैं कि हमारी वितरण प्रणाली में दोष है। शहर के लोगों को ही इस प्रणाली से चीनी मिलती है, लेकिन देहात के लोगों को चीनी नहीं मिलती है। मैं कहना चाहता हूं कि सुयोग्य हाथों में यह विभाग सौंपा गया है, इस लिए मंत्री जी को ठोस कार्यवाही करनी चाहिए। उत्तर भारत में कई तरह की चीनी मिलें हैं। को-आपरेटिव सैक्टर में हैं, सैन्ट्रल सैक्टर में हैं, कारपोरेशन की हैं, कुछ राज्य सरकारों की हैं तथा 36 मिलें प्राईवेट सैक्टर में हैं। सबकी रिकवरीज में अंतर है। किसी की 8.5 है, किसी की नौ है और किसी की पौने नौ है। इसकी वजह से सारी छोटी फैक्ट्री बैठ जायेंगी। इस ओर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए।

हमारे मित्र राष्ट्रीयकरण की बात कह रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार कब राष्ट्रीयकरण करेगी? जब मिल की हालत जर्जर हो जाएगी, तो मिल को ले लिया जाएगा। मैं कहता हूं कि अगर राष्ट्रीयकरण करना है, तो सरकार को तुरन्त कदम उठाने चाहिए। इन शब्दों के साथ पुनः मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे उत्तर प्रदेश, बिहार के किसानों का जो अरबों रुपया बकाया है, उसको वे दिलवा दें, ताकि किसानों को राहत मिल सके। पिछले साल भी स्टेट गवर्नमेंट ने 27 करोड़ रु० की छूट दी है और इस साल भी छूट दे रही है। यह घाटे का सौदा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर भारत और दक्षिण भारत की चीनी मिलों में समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि उत्तर भारत की चीनी और दक्षिण भारत की चीनी एक मूल्य पर बिक सके। आज उत्तर भारत की चीनी मिलें घाटे में जा रही हैं। आप कोई ऐसा पूल बनाइये, शासन से उनको अनुदान दीजिए, जिससे हमारी उत्तर भारत की चीनी मिलें बरकरार रह सकें। यदि उत्तर

भारत की चीनी मिलें बरकरार नहीं रहेंगी तो हालत पहले ही खराब है, और खराब हो जाएगी। इस ओर भी मंत्री जी का ध्यान जाना बहुत जरूरी है।

अंत में मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जब मैं यहां से जाऊंगा तो आपकी तरफ से एनाउन्स होगा और मैं पेपर में मोटे कालम में पढ़ूंगा कि आजाद जी ने एनाउन्स किया है कि उत्तर भारत में किसानों के गन्ने का जो बकाया है, वह दस-बीस दिन में मिल जाएगा। इस उम्मीद के साथ मैं पुनः इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री पीताम्बर सिंह (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल को पढ़ा है और समझने की कोशिश की हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि माननीय मंत्री महोदय को न किसानों की चिंता हैं, न गन्ना उत्पादकों की चिन्ता है और न उपभोक्ताओं की कोई चिन्ता है; लेकिन अगर कोई चिन्ता है तो लैवी प्राइस इक्वेलाइजेशन कोष में पंसा आ जाए। इसके अलावा इस बिल में कोई और मंशा नहीं है।

इस सिलसिले में आपने यह व्यवस्था रखी है कि जो अतिरिक्त मूल्य चीनी उत्पादकों ने वसूल किया है, यदि दो महीने में जमा कर देंगे तो उसे साढ़े बारह प्रतिशत सूद देंगे, लेकिन दो महीने के बाद देंगे तो 15 प्रतिशत सूद देना होगा—यह बात मेरी समझ आती है। देखने में तो ऐसा लगता है कि आपका उद्देश्य देर से देने में थोड़ा दण्ड देने का है जो उचित भी है, लेकिन जो सबसे अनुचित बात इसकी खेती के सम्बन्ध में है वह यह है कि चीनी की पैदावार पिछले वर्ष 84 लाख 32 हजार टन हुई, इस वर्ष 82 लाख टन हुई और अगले वर्ष में 60 लाख टन होने जा रही है और उसके बाद देश में चीनी का भयानक संकट आने वाला है। सरकार ने किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, चीनी उद्योग ने जिस तरह का व्यवहार किसानों के साथ किया है, उस किसान विरोधी नीति, धांधली और अत्याचार का यह नतीजा है कि साल बाद देश के सामने चीनी का अभाव मुंह बाये खड़ा है। किसान के इतनी मुसीबत झेलने के बाद भी उसको सजा मिलनी ही है और उसके साथ सरकार और समाज को भी सजा उठानी पड़ेगी।

आज स्थिति यह है कि उत्पादक इतनी मुसीबत झेलने के बाद गन्ना पैदा करता है, उस के बाद बिना पैसा दिए उसे पूंजी नहीं मिलती, उसके बाद मिलों में गन्ने की आपूर्ति करनी पड़ती है, परन्तु आपूर्ति रसीद लिए इस उम्मीद से बैठा रहता है कि उसको पैसा मिलेगा, लेकिन वह पैसा उसे नहीं मिल रहा है। अभी आपने सुना कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का 95 करोड़ रुपया बकाया है, हमारे बिहार में भी 26 करोड़ रुपया बकाया है। इसमें चम्पारन में, जहां 9 चीनी मिलें हैं, 11 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है और वह भी न केवल 1983–84 का बकाया है, बल्कि 1982-83 का भी बकाया है। मुख्यतः बकाया है लोरिया, चनपरिया, खगौली, चक्रिया और मगहा मिलों के यहां अधिक है।

अभी एक चर्चा बिहार सीवान जिले के सदस्य ने की थी, वहां तीन शुगर फैक्ट्रीज हैं, पहले चार थीं लेकिन अंग्रेजी राज के जाते-जाते एक बन्द हो गई थी, पिछले दो सालों में पंचरुखी एस.के.जी. और न्यू सीवान ये तीनों फैक्ट्रीज भी बंद हो गई और बिहार के सीवान जिले के किसानों को उत्तर प्रदेश की मिलों को गन्ना पहुंचाने की आज्ञा बड़ी मुश्किल से मिली, उसके बाद पिछले

(श्री पीताम्बर सिंह)

साल का बकाया और इस साल का बकाया उन को अभी तक नहीं मिला है। पंचरुखी में तो 10 साल का न केवल गन्ना किसानों, बल्कि मिल मजदूरों का भी वेतन आदि का बकाया अभी तक भुगतान नहीं हुआ। यह इस सरकार की सफलता का प्रमाण है। देश के गन्ना किसान ने उपज बढ़ाकर देश के चीनी संकट को दूर किया, न केवल देश की जरूरत को पूरा किया बल्कि विदेशों में भेजकर विदेशी मुद्रा का अर्जन किया, लेकिन अभी भी उसको पैसा नहीं मिला।

दो दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि सरकार ने साढ़े तीन लाख टन चीनी बाहर से मंगाई है। मेरे जैसे किसान को, जो चीनी सीवान इलाके का है, इस खबर को पढ़कर बहुत तकलीफ हुई। आपके पास चीनी का इतना स्टाक था कि अगले साल तक खर्च चलाने के लिए कोई संकट नहीं था। आपके यहाँ कल तक भण्डारण का भयानक अभाव था, पूंजी का अभाव था, आप बफर स्टाक बनाने में असमर्थ थे, कितनी कठिनाइयों से आपने थोड़ा सा बफर स्टाक बढ़ाने का प्रयास किया, भण्डारण को बढ़ाने का प्रयास किया, चीनी की आपके यहां कोई कमी नहीं थी, फिर भी आपने विदेशों से चीनी मंगाई। आपने देश की विदेशी मुद्रा को बरबाद किया, मेरी दृष्टि में यह किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि देश के लिए भी राष्ट्र-विरोधी काम है। जो साढ़े तीन लाख टन चीनी मंगाई गई है, इसे मैं बहुत ही तकलीफदेह घटना मानता हूं। इस देश में बाहर से चीनी मंगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर सही नीति अपनाई जाए तो इस देश में जरूरत के लायक चीनी उपलब्ध हो सकती है। यह काम किसान-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी है। अगर सरकार अपनी नीतियों में संशोधन और सुधार करने को तैयार हो तो चीनी की कमी को पूरा किया जा सकता है और किसान पैदावार बढ़ाने में सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

इसके लिए गन्ना-उत्पादकों को लाभकारी मूल्य और गन्ना किसानों को गन्ने की कीमत, बिक्री केन्द्रों पर आपूर्ति के समय ही भुगतान करनी होगी।

जब कांग्रेस दो टुकड़ों में बंटी थी तो उसमें से एक कांग्रेस जो कि सत्ता में है, ने बम्बई में प्रस्ताव पास किया था कि हम चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करेंगे क्योंकि चीनी का सवाल मजदूरों का सवाल है, गन्ना-उत्पादकों का सवाल है चीनी उपभोक्ताओं का सवाल है और यह सवाल बिना चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किए हल नहीं हो सकता है। इस देश में चीनी उद्योग के संकट को दूर करने के लिए इसका राष्ट्रीयकरण किया जाना ही एक समाधान है। उसके बाद एक राष्ट्रीयकरण कमीशन बहाल हुआ था। उस कमीशन ने केवल एक के बहुमत से चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में राय नहीं दी लेकिन उसने जितने भी तर्क दिये वे सभी राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं। मैंने उस कमीशन की रिपोर्ट देखी है। उसको देखने के बाद ही मैं यह सब कह रहा हूं कि इस उद्योग में बिना राष्ट्रीयकरण किए कोई सुधार नहीं हो सकता है।

आज बिहार की स्थिति यह है कि वहां के किसानों का 26 करोड़ रुपया बकाया है। अभी तीन करोड़ रुपये का भुगतान गन्ना कारपोरेशन के द्वारा किया जा रहा है। बिहार सरकार ने भारत सरकार से बीस करोड़ रुपये के मीडियम टर्म लोन की मांग की है, इस उद्योग को संकट से उबारने के लिए। अगर बिहार में इस उद्योग

को जिन्दा रखना है तो भारत सरकार 20 करोड़ रुपया बिहार को दे जिससे बिहार के गन्ना-उत्पादकों का बकाया भुगतान किया जाए।

दूसरी तरफ़ किसान बाढ़ से परेशान हैं। चम्पारन में एक-तिहाई फ़सल बाढ़ से बर्बाद हो गई है। बिहार के 50 हजार लोग उत्तर प्रदेश की सीमा पर मधुबनी, ठकराहा, बौरिया और नवतन अंचलों में खड़े हैं। रिलीफ के लिये वह भी उनको नसीब नहीं है। ऐसी स्थिति में बिहार का जो 26 करोड़ रुपया बकाया है और उसमें से चम्पारन का 11 करोड़ रुपया है, उसको दिलाने का मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं। वे इसको यथाशीघ्र दिलायें। उसके बिना इस स्थिति में सुधार नहीं आ सकता है। आगे अगर आपको चीनी की पैदावार बढ़ानी है, सारे देश को अगर चीनी के मामले में आपको आत्म-निर्भर रखना है तो इस समस्या का आपको समाधान करना होगा। अन्यथा देश में भारी संकट आने वाला है। इस देश को इस संकट से बचाने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि गन्ना-उत्पादकों के साथ जो सुलूक भारत सरकार, राज्य सरकारों का हो रहा है और उनके बकाया के भुगतान के सवाल पर हो रहा है वह न हो। इसके चलते यह संकट दूर होने वाला नहीं है।

जनता पार्टी के शासन के समय, 1978 में भारत सरकार ने किसानों की बकाया के बारे में एक्जीक्यूटिव आर्डर्स जारी किए थे कि किसानों को स्टेच्युटरी प्राइस पर उनका जो भुगतान चीनी मिलों को करना है उस पर सूद भी दिया जाए। जब मिल वाले किसानों को अपना पैसा देते है तो उस पर 16 से 18 प्रतिशत तक का सूद लेते हैं। करोड़ों रुपया किसानों का चीनी मिलों पर महीनों से नहीं, सालों से बकाया है। उस पर किसानों को सूद नहीं दिया जाता है। उनके रुपये पर भी सूद चढ़ता है, जिस तरह से मिल-मालिकों के रुपये पर सूद चढ़ता है। करोड़ों रुपये पर किसानों को एक पैसा सूद नहीं दिया जाता है। जब मिल-मालिक अपने पैसे पर 16 से 18 प्रतिशत तक सूद वसूल कर रहे हैं तो किसानों को भी उनकी बकाया पर सूद मिलना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा कि मंत्री जी इस बात का एलान करें और इस सदन के माध्यम से किसानों को आश्वस्त करें कि बिरला की मिलों या अन्य सेठों की मिलों को भी किसानों की बकाया पर सूद देना पड़ेगा। किसानों के दिल में सूद न मिलने का बहुत बड़ा दर्द है। जिस दर्द को मैं महसूस कर आया हूं, अपने इलाके में किसानों की जिस मुसीबत को देखकर आया हूं, उससे मुझे मजबूर होना पड़ रहा है कि मैं इन कड़े शब्दों का प्रयोग करके मंत्री महोदय का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करूं।

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्टगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का हार्दिक समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं कहूंगा। कोई ज्यादा परिवर्तन इसमें नहीं होने जा रहा है और आमतौर पर सभी लोगों ने इसका समर्थन किया है। मैं दो तीन बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

चीनी उद्योग के साथ कुछ इस तरह की बात है कि हर दो वर्ष में कुछ उतार-चढ़ाव आता है। इसका एक ही कारण है कि जिस साल गन्ने का उत्पादन कम होता है, उस वर्ष किसान को अच्छी कीमत मिल जाती है और समय पर मिल जाती है। इसको देख कर वह गन्ने का उत्पादन बढ़ा लेता है। नतीजा यह होता है कि उत्पादन अधिक होने की वजह से उसको फिर समय पर कीमत नहीं मिल पाती और कम कीमत मिलती है। आप पिछले तीन

(श्री रामप्यारे पनिका)

वर्षों का इतिहास उठाकर देखेंगे तो यही तथ्य आप पायेंगे। जनता सरकार के समय में तो यह हालत थी कि 6 रुपये प्रति क्विंटल पर भी कोई गन्ना लेने को को तैयार नहीं था और बाकी जगहों का तो मैं नहीं कह सकता लेकिन उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ना खेतों में जलाना पड़ा था। जनता सरकार तो समाप्त हो गई लेकिन चीनी का अभाव उत्पन्न हो गया जिसका दोषारोपण हम पर किया गया। लेकिन मैं अपनी सरकार को और खासकर मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं...

श्री हरीश कुमार गंगवार : उस वक्त एक बोरी चीनी भी इम्पोर्ट नहीं की गई थी।

श्री रामप्यारे पनिका : आप तो स्वयं जनता सरकार की गलत नीतियों के कारण कांग्रेस में आ गए थे। 80 में चुनाव जीत कर फिर उधर चले गए थे। आप तो अवसरवादी हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : आपको गलतफहमी है। मैं बहुगुणा जी के साथ आया था और उन्हीं के साथ वापिस आया हूं।

श्री रामप्यारे पनिका : हमारे शासन काल में हर क्षेत्र में सुधार आया है। हमें 1980 में जो जर्जरित अर्थव्यवस्था मिली थी उसको हमने काफी सुधारा है। गन्ने का 15 करोड़ टन रिकार्ड उत्पादन किया है। उद्योगों को आगे बढ़ाया है। जहां तक खाद्य विभाग का संबंध है, इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी समझ बूझ से काम लिया है। सीमेंट के बारे में भी दोहरी मूल्य नीति अपना कर उस पर होने वाली चोर बाजारी को समाप्त किया है। इसका परिणाम अच्छा हुआ है।

इन सबके बावजूद हम दो तीन बातों की अपेक्षा मंत्री महोदय से करते हैं। एक तो संतुलन की बहुत आवश्यकता है। इस साल अगर गन्ने की कीमत 12 रुपये है तो अगले साल बाकी चीजों की कीमत जिस अनुपात में बढती है उसी अनुपात में गन्ने की कीमत भी बढ़ाई जानी चाहिए। पिछले साल यह बात सही है और हम इसके लिए सरकार के आभारी हैं कि भारत सरकार और वित्त मंत्रालय में बड़ा प्रयास करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को लोन दिलाया गया और कहां पर गन्ने की कीमत का भुगतान किया जा सका। यही हाल बिहार का है। इस साल भी हम बकाया नहीं दे पा रहे हैं। इसका नतीजा क्या हुआ। पिछले साल जहां 80 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था, वहां आज 59-60 लाख टन हो गया है। आज हम लोगों के रहन-सहन का स्तर बढ़ा है। इसका नतीजा यह है कि जो खपत 60 लाख टन थी, वह अब बढ़कर 80 लाख टन होने जा रही है। यह इस बात का सुबूत है कि देशवासियों का रहन सहन बढ़ा है। साढ़े तीन लाख टन चीनी का आयात किया गया। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यह मंत्री महोदय की दूरदर्शिता है। अगर किसी चीज की कमी का अंदेशा है तो बाहर से मंगाई जानी चाहिए। लेकिन हमें इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए। हर क्षेत्र में हमने उन्नति की है। चावल के क्षेत्र में, गेहूं, तिलहन, दलहन, सब क्षेत्रों में हम आगे बढ़े हैं तो क्या कारण है कि गन्ने का उत्पादन कम है। गन्ने का उत्पादन कम होने के तीन चार कारण हैं।

सेन्टर से अच्छा पैसा मिलता है तो प्रदेश की ओर से नहीं मिल पाता। इसमें असंतोष पैदा हो जाता है। सरकारी मिलों पर किसानों का जो बकाया रहता है, वह ठीक से नहीं मिल पाता है। जब हम कहते हैं कि एडजस्ट कीजिए

तो कोई मानने के लिये तैयार नहीं होता है। जिस रूप में कीमत दी जाती है, उससे बड़ी परेशानी हो जाती है। एक कानून पास हुआ है कि 15 दिन से अधिक किसानों का बकाया हो जाये तो मिल-मालिक मार्किट रेट पर इंटरेस्ट देगा। काफी शोर-गुल के बाद भी वह नहीं दिया जाता। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी राज्य सरकारों को सख्ती से लिखें कि वह कानून का पालन करें। इससे गन्ना उत्पादकों में जो असंतोष है, वह दूर हो सकेगा। राष्ट्रीयकरण का निर्णय कई बार हुआ है। अगर, हम राष्ट्रीयकरण नहीं चाहें तो राष्ट्रीयकरण जैसा व्यवहार होना चाहिये। ......(व्यवधान) आज हमको मिलों की संख्या बढ़ानी है। मैंने जब मिर्जापुर का दौरा किया तो किसानों ने अपनी दुखद कहानी सुनाई। मैं चाहूंगा कि चीनी मिलों को सेन्ट्रल सैक्टर में अवश्य खोलें और किसानों के हितों का ध्यान रखें। दूर स्थानों पर जाकर किसानों को अपना गन्ना बेचना पड़ता है। गन्ना किसानों को गन्ने की पर्ची लेने में भी पैसा देना पड़ता है। आज जरूरत इस बात की है कि इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक काम्प्रीहेंन्सिव बिल लाएं। चीनी मिल के जो मजदूर हैं उनका ध्यान रखने के लिये और उपभोक्ताओं के हित में लेवी का ध्यान रखने के लिये, हमारी सरकार बधाई की पात्र है। बड़-बड़े लोग तो लेवी चीनी की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन, जो गरीब, हरिजन और मजदूर लोग हैं, उनको लेवी चीनी नहीं मिल रही है। हमारे यहां जो वितरण व्यवस्था है, उसको भी दुरुस्त किया जाना चाहिए। शहर के लोगों को तो कार्ड पर चीनी मिल जाती है लेकिन दूर-दराज के लोगों को नहीं मिल पाती है। मैं, जब बनारस गया तो मुझे लोगों ने बताया कि ईद के समय उनको चीनी नहीं मिली। एक गांव में पता चला कि एक दुकानदार को पांच बोरी चीनी मिली थी। उसने एक ही गांव में बांट दी और बाकी ब्लैक कर दी। इन्डीविजुअल यूनिट के हिसाब से चीनी बंटे, इसकी आप व्यवस्था करें। मैं जानता हूं कि आपकी लिमिटेशन्स क्या हैं? आपका स्टेट गवर्नमेंट्स पर कंट्रोल नहीं है।

लेकिन आप कोई न कोई ऐसी व्यवस्था अवश्य करें जिससे राशन में मिलने वाली चीनी का सही तरीके से वितरण हो सके, उसकी वितरण की उचित व्यवस्था हो। वैसे आपने प्रयास तो काफी किए हैं, काफी दुकानों की संख्या आपने बढ़ाई है, फिर भी हम व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि जितनी आवश्यकता हमारे यहां है, उसके हिसाब से चीनी मिलें खोली जायें और एक मिल मेरी कांसटीटूऐन्सी मिर्जापुर में भी खोली जाए जहां के लोग बहुत परेशानी अनुभव कर रहे हैं और उनको राहत मिल सके।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष जी, जब मैंने इस बिल के उद्देश्य और कारणों को पढ़ा तो मुझे लगा कि उसमें उद्देश्य और कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ हैडिंग दिया हुआ है—ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स जब कभी कोई बिल पेश किया जाता है तो उसको पेश करते हुए लिखा जाता है कि इसके अन्तर्गत निम्न धाराओं में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। उस प्रकार की बात इसमें नहीं कही गई है, आप स्वयं पढ़ लीजिए। आपको बताना चाहिए था कि हम पिछले एक्ट की फलां-फलां धाराओं में परिवर्तन करना चाहते हैं, फलां प्रावधान के कारण यह हानि हुई या उसमें यह कमी रही और उन कमियों को दूर करने के लिए ही हम नया बिल ला रहे हैं और

(श्री हरीश कुमार गंगवार)

इन नई धाराओं से वह कमी दूर होगी। तब हम आपके औब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स का औचित्य समझ सकते थे। मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने कभी इसको देखने की कृपा नहीं की। गांवों में चीनी पैदा करने वाले किसान की तरफ शायद कभी इनका ध्यान नहीं गया।

इसके अलावा इस बिल के अन्दर और कोई खास बात नहीं है। सिर्फ लेवी चीनी पर एक्साइज ड्यूटी का पैसा है, डिफरेंस है, उसको आप जमा करवा रहे है, यदि किसी कोर्ट का निर्णय हो तो उसके 60 दिनों के अन्दर, अथवा जो आपने पहले वसूल किया है, उससे 60 दिनों के अन्दर। उस पर साढ़े बारह प्रतिशत ब्याज लगेगा और यदि समय पर जमा नहीं करवाया गया तो ब्याज की दर 15 प्रतिशत हो जाएगी। इसके अलावा इसमें और कोई खास बात नहीं कही गई है। मैं समझता हूं कि यह भी मात्र दिखावे के लिए है क्योंकि सरकार पूंजीपतियों से आज तक एक नया पैसा भी वसूल नहीं कर पाई है। यदि कहीं किया हो तो आप हमें बताइए।

श्रीमान, रामप्यारे पनिका जी कहाँ चले गए। मेरा ख्याल है कि यदि उनकी बातों को अच्छी तरह से देखा जाए तो जैसा उन्होंने शुरू में कहा कि मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन उसके बाद जो कुछ उन्होंने कहा, उससे इसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि वे इसके विरोध में बोले हैं। यदि आप वास्तव में किसानों के हिमायती हैं तो सरकार आपकी है, फिर किसान दुःखी क्यों हैं। आप छोड़ करके इधर आ जाओ। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं कभी चार आने का या एक रुपये का कांग्रेस का मेम्बर नहीं रहा। बहुगुणा जी के जमाने में न जाने कहां से उन्होंने मुझे टिकट दिलवा दिया और मैं जीत कर आ गया। लेकिन कोई भी कांग्रेस का आदमी, ऊपर से नीचे तक, मेरे चुनाव प्रचार में कभी नहीं गया। सिर्फ उनके साथ मिलकर जो कुछ हुआ, उसके अलावा किसी ने मुझे कोई सहायता नहीं की। इसलिए आपकी धारणा गलत है कि मैं कभी कांग्रेस में रहा। न आपकी मेहरबानी के कारण कभी मैंने चुनाव जीता। अगली बार भी सब कुछ आपके सामने आ जाएगा कि किस की मेहरबानी से चुनाव जीतता हूं। इस सम्बन्ध में मुझे रहीम जी का एक दोहा याद आता है—रहिमन बुरो न मानिये, जो गंवार कह जाए। इसलिए जो बातें उन्होंने की, उनका मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है।

श्रीमान, जो भी चीनी मंत्री होता है, मैं आपको यहां एक बेधड़क बनारसी का उद्धरण सुनाना चाहता हूं। एक बार कुछ किसान उनके पास पहुंच गए। चूंकि वे व्यंग्य रस के कवि थे, इसलिए उन्होंने किसानों की चीनी से सम्बन्धित समस्याओं को सुनने के बाद एक छोटा-सा पद्य रच डाला—वह चीनी मंत्री जी आपके ऊपर है—

करें क्या नेह तिलचट्टे हो तुम,
और दोस्ती के नाम पर बट्टे हो तुम।
शर्म आती है यह कहते बेधड़क,
नाम चीनी है मगर खट्टे हो तुम॥

किसानों की बातें सुनकर बेधड़क बनारसी ने जो कुछ कहा उनकी भावनाओं को ही मैं यहां उद्धृत करना चाहता हूं। क्योंकि हमारे चीनी मंत्री के ऊपर भारी दायित्व है। भले ही हमारे राव बीरेन्द्र सिंह जी चीनी पैदा करने वाले मंत्री हों या चीनी का वितरण करने वाले आजाद

साहब हों, दोनों ही चीनी से सम्बन्धित हैं और दोनों ही जगह गड़बड़ है। भले ही हमारे आजाद साहब कह दें कि यह सब्जेक्ट तो राव बीरेन्द्रसिंह जी का है, चीनी मिलों का उनसे सम्बन्ध है, उस में मैं क्या करूं।

राव बीरेन्द्र सिंह कहते हैं कि दाम तय करना मेरा काम नहीं है, और आप इस तरीके से हट जायेंगे कि यह हमारा क्षेत्र नहीं है। तो इस तरह की बातों से काम नहीं चलता है। चूंकि जौइन्ट रेस्पांसिबिलिटी है इसलिये आप सभी संबंधित मंत्रिगण बैठ करके नीति निर्धारण करें। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं।

एक तो चीनी की कमी इसलिये है कि उत्पादन कम हो जाता है क्योंकि किसान को आप सहूलियत नहीं देते हैं। 5, 6 साल तक उसको गन्ने का दाम नहीं मिलता। और अगर ज्यादा गन्ना पैदा करे तो आप पैसा नहीं देते, पर्चियां देर से मिलती हैं, कोई दूसरी फसल करने के लिये खेत खाली करना पड़ता हैं इसलिये मजबूर होकर कम दाम पर क्रशर्स को गन्ना देता है जहाँ रिकवरी कम होती है जिससे किसान को नुकसान होता है।

एक बात माननीय पनिका जी ने कही कि उस समय चीनी नहीं मंगाई गई इसलिए स्टाक खत्म हो गया। जनता पार्टी ने कोई पाप करे थे इसलिए हम इधर आ गये। लेकिन अब आप भी वही पाप कर रहे हैं इसलिये जनता जो भगवान का रूप होती है वह आपको जब इधर भेजने वाली है। इस साल तो आप चीनी बाहर से मंगा रहे हैं, जबकि स्टाक मौजूद है। और कहते हैं कि कोई कमी न पड़े इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन पिछले साल आपने चीनी बाहर भेजी और फिर मंगाई। इसके पीछे क्या रहस्य है? इसका मतलब है कि कहीं बंगलिंग है, अफसर कमीशन ले रहे हैं। अतः जब जवाब दें तो आप बतायें कि चीनी बाहर क्यों गई, और फिर बाहर से क्यों आयी?

उपभोक्ता की क्या हालत है इसको भी देखिये। जब दुकानदार चीनी की बोरी लेता है, चाहे को-आपरेटिव समिति आबंटत कर रही हो या एफ० सी० आई० के गोदाम से वह दुकानदार चीनी ले रहा हो तो वह चीनी मोटी होती है। लेकिन जब उपभोक्ता के पास पहुंचती है बारीक दाने वाली क्रशर वाली चीनी होती है। मोटी दाने वाली चीनी खुले बाजार में पहुंच जाती है और उसके बदले में 100 रु० बोरी कम कीमत वाली चीनी उपभोक्ता को पीले, लाल रंग वाली मिलती है। उधर बंगलिंग ही किसान के साथ, इधर बंगलिंग ही उपभोक्ता के साथ। मैं अभी बरेली से आया हूं. यहा चीनी नहीं थी। पता नहीं कहां चली जाती है। आप कहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट का डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम खराब है। तो हम यही जानते हैं कि दोनों जगह आप की ही पार्टी की सरकार है। यह जिम्मेदारी आपकी है। कैसे आप उपभोक्ता को चीनी पहुंचा रहे हैं यह आपका काम है, हमारा नहीं है। नहीं तो हमें अपनी जगह बैठा दीजिये देखिये हम ठीक करते हैं कि नहीं।

18.00 hrs.

जो चीनी मिलें प्राइवेट हाथों में हैं या प्राइवेट हाथों से निकलकर सरकारी मैनेजमेंट में चली गई हैं, उनके ऊपर जो 10, 10 साल का किसानों का बकाया पैसा है, अगर आप वही उन्हें दिलवा दें तो आपकी वाहवाही हो जायेगी।

पीलीभीत के अन्दर एक एल० एस० शुगर फैक्टरी है।

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Gangwar, how many more minutes do you want to complete your Speech ? You wanted 10 minutes, and I have given you ten minutes.

SHRI HARISH KUMAR GANGWAR : I will just complete my points within a few minutes.

MR. DEPUTY SPEAKER : All right, you please complete your speech within two minutes.

हरीश कुमार गंगवार : यह फैक्टरी प्राइवेट हाथों में है और इस पर किसी बड़े मंत्री का वरद-हस्त है। उस पर करोड़ों रुपया कई बरसों का बकाया है, आज का नहीं। किसान मारा जा रहा है। वह जिस मजदूर या क्लर्क को चाहे निकाल देता है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही होने वाली नहीं है।

सिर्फ इतना ही वह नहीं करता, गन्ने के लिये जो वैगन देते हैं, वह उसे सेंटर से एलाट होता है। उसमें अगर 200 क्विंटल की एक वैगन की कैपेसिटी है तो वह उसमें 300 क्विंटल भर-कर लाता है। किराया 200 क्विंटल का देता है और 100 क्विंटल का बचाता है। मैंने इस सम्बन्ध में शिकायत की थी जिस पर काफी जाँच-पड़ताल हुई। उस में यह बात सत्य पाई गई। हर तरीके से यह मिल मालिक पैसा कमाता है।

यही नहीं, जिन गन्ना क्रय केन्द्रों से गन्ना आता है, उनकी निलामी करता है। जो पैसा ज्यादा लगता है महीने का उसको वह सेंटर अपनी तरफ से देता है। आप कहेंगे कि कैसे नीलाम करता है। जायज होता है सूख 5 परसेंट। मान लीजिए 100 क्विंटल गन्ना तोलता है, 95 क्विंटल फैक्टरी को सप्लाई कर देंगे तो वह मान लिया जायेगा, 5 क्विंटल जायज मान लिया जायेगा। वह क्या करता है कि 10 क्विंटल एक्सेस तोल देगा। यह सेंटर के पास कहाँ से आयेगा ? वह किसान की गाड़ी को अंडर-वे कर के लेता है। 20 क्विंटल की गाड़ी है तो 15,16 क्विंटल तोलेगा और शाम को जो 100, 150 क्विटल बढ़ेगा, उसकी फर्जी पर्ची बनेगी और सबसे पहले उसकी कीमत मिलेगी। किसान को नहीं मिलेगी। इस तरह से किसान को लूटा जा रहा है।

किसान को पर्ची मिलने में देर, वह गन्ना टाइम से नहीं डाल सकता, क्रय-परचेज सेंटर पर जाये तो वहां अंडर-वे हो, उसके बाद पैसा मिलने में सालों चक्कर लगाने पड़ें तो गन्ने और चीनी की पैदावार कैसे बढ़ेगी ? अगर बढ़े तो आपका अफसर उसका निर्यात कर दे और कमी का ढोंग दिखाकर आयात कर दे पिछले दोनों साल आयात भी हुआ और निर्यात भी हुआ। आप कह रहे हैं कि चीनी की कमी हो गई थी। लेकिन किसी जमाने में भी चीनी की कमी नहीं थी। ना उपभोक्ता के लिए और ना बाजार में कमी थी। उसके बाद भी आप निर्यात कर रहे हैं। आपके आंकड़ों के अनुसार आपका निर्यात कम है और आयात ज्यादा है। इसी से आपकी गवर्नमेंट की साख दिखाई देती है।

इसका इलाज यह है कि जहां यह प्राईवेट फैक्टरी हैं उनके साथ आप को-आपरेटिव मिलों को सैचुरेट कर दो। ज्यादा से ज्यादा आप ये खोल दें तो यह बेईमानी नहीं करेंगे। किसान वहां जायेगा और वहां उसका गन्ना आसानी से लिया जायेगा।

अगर इन फैक्टरियों का नेशनलाइजेशन करना है तो देख लें कि ये मरम्मत के नाम पर अगर 1 लाख की जरूरत है तो 10 लाख सरकार

से ले जाते हैं और वहाँ पर 1 लाख मुश्किल से खर्च करते हैं और बाकी 9 लाख नैनीताल, मसूरी और शिमला के बंगलों में खर्च करते हैं। मेरा जाती तजुर्बा है, मैंने देखा है।

बरेली की एच० आर० शुगर फैक्ट्री का मालिक 20 लाख रुपये उत्तर प्रदेश सरकार से ले गया और उसके बाद बहुत थोड़ी सी मरम्मत उसने कराई होगी, मुश्किल से लाख, सवा लाख इस पर खर्च किया होगा, उसके बाद नई गाड़ी लेकर नैनीताल में विहार कर रहा है, सुरा और सुन्दरी में मस्त है। ये सब लूट करना चाहते हैं। जिस दिन आप इसका नेशनलाइ-जेशन करेंगे, तो वहां आप देखेंगे कि एक भी पुर्जा साबुत नहीं है। और जब आप उसको लगे तो और आप पर बर्डेन पड़ेगा यह आपको दिखाई देगा। इसलिए ज्यादा अच्छा यह है कि इनको कुछ मत दीजिए और इनके बदले में ज्यादा से ज्यादा कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज आप खोल दीजिए, सैचुरेट कर दीजिए।

पिछले पाँच साल से मैं मांग कर रहा हूं, हमारे शाहजहांपुर की पुवायां तहसील का जो क्षेत्र है वह सबसे ज्यादा गन्ना, सबसे ज्यादा गेहूं और सबसे ज्यादा धान के उत्पादन का क्षेत्र है, पूरे प्रदेश में उसका नाम है और एक फैक्ट्री के लिए हम माँग कर रहे हैं, यू० पी० गवर्नमेंट ने रेकमेंड करके भेजा है लेकिन आज तक उसके लिए लाइसेन्स नहीं मिला। तो वहां सब क्रशर वाले वहाँ के किसानों को खा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप अपने गुड आफिसेज का इस्तेमाल करें, आप समझदार आदमी हैं और आप तो वैसे ही आजाद हैं, आपके ऊपर किसी का रोब-दाब नहीं चलता, बिल्कुल आजाद हैं, आप मेहरबानी करके इस बात को देखते हुए पुवायां में शाहजहांपुर के अन्दर एक चीनी मिल खुलवा दीजिए। चार पांच साल में प्रोपोजल चल रहा है, सब तरीके से ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने रेकमेंड करके भेजा है, वह आप खोलवा दीजिए और वहीं नहीं जहां तक हो सके कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज का एक जाल बिछा दीजिये पूरे स्टेट में। इस तरह से ये जो चीनी मिलों मालिक बैठे हुए हैं उनको आगे बढ़ने का और खाने पीने का मौका मत दीजिए वरना आप पर यह इल्जाम लगेगा कि आप पूंजीपतियों का समर्थन करते हैं। आपने देखा है कि पूरे देश की राजनीति एक समय इन्हीं चीनी मिल मालिकों के हाथ में थी। वे जिधर चाहते थे सरकार बनाते थे, जिधर चाहते थे, गिरा देते थे, खास तौर से महाराष्ट्र में यह स्थिति थी। वह समय मत आने दीजिए और कम से कम अपने ऊपर यह इल्जाम मत आने दीजिए, राव बीरेन्द्रसिंह पर आए तो कोई बात नहीं है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Hon. Members, the time allotted for this Bill is already over; it was two hours. I will, therefore, call the Minister to reply. Shri Kabuli and Shri Ramavatar Shastri went to speak, though Members from their party have already spoken. I will allow them to speak for a few minutes each in the Third reading.

We will sit late for some time and pass this Bill today, because the whole of tomorrow has been alloted for discussion on the White Paper on Punjab.

THE MINISTRY OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIS.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am grateful to the hon. Members for the sympathy that they have shown for the cane growers, consumers and the industry as a whole. I do share with them their anxiety and anguish for the arrears that are not being paid to the cane

(Bhagwat Jha Azad)

growers. It is not a lip sympathy, lip-deep only, but I feel sincerely concerned as the hon. Members do. As a Minister, I have always expressed very strongly for the payment of arrears, and I have always taken this up with the State Governments whenever I had occasions to meet them ; I have been writing to them also whenever the occasion arose.

Now, there have been two kinds of criticisms, one relating to the present amending Bill and other covering the entire canvas of sugar policy in the country. I would first like to say on the amending Bill, on which the hon. Members have almost unanimously agreed and supported the amendment.

The point is very simple. Whenever we fixed the price of levy sugar, the mill owners went to the court, and the courts in their wisdom allowed them to charge higher prices and we could not do anything. And after thos petitions were dismissed, they said that since it was not specifically provided that they had to return the excess charged in the price but the additional excise duty on that, they would not return that.

Some of the hon. Members have said : "You have experts. You draft the Bill." Mr. Ram Vilas Paswan is not here. He said : "You deliberately leave the loophole." That is not the question The officers draft the Bill, with our consent. The Cabinet approves it. It is ultimately the Houses which pass the Bill, and it becomes an Act. So, it is not they, but we who are responsible. For example we have the occasion here to scrutinize the entire thing. You pass it ; and in the course of administering it, we find the loopholes. Therefore, we come here.

About the amending Bill as such, the Members are agreed that what I have provided in the Bill now is that whatever arrears are due from these producers who charged from the consumers firstly, more than what we fixed as the levy price, and secondly as additional excise duty due to higher price should be deposited in the Fund. They have agreed with it, and we have done it. The loopholes which were there in the Bill hrve been plugged. I hope hon. Members have seen it. I hope they do not want me to repeat it. About interest also, those people must pay it.

Shri Girdhari Lal Vyas and others have asked : "Why have you said that if they pay within 60 days, the interest will be 12½% and if they pay after 60 days it will be 15% ?" It is not to my liking : I must tell you frankly. Even to-day, I argued with my officers and asked : "Why not 15% from the start ?" These things arise when people go to the court. It is said : You don't give a reasonable time. So, they have not paid because the court case was there. Now that the court has dismissed their petition, they must get a reasonable time. I do not know whether all the these laws and the question of reasonable time are there for all, or for some people, but the fact remains that I had to provide for willy-nilly, these 60 days, because of this difficulty of reasonable time to be given to those fellows, who did charge the higher price, and did not deposit it. So, I had to do it. That is my only explanation in this case.

There is another important point on this : how will the consumer who has been charged more, benefit ? It is very difficult, I must admit as hon. Members have said, to benefit the individual consumers by returning the money that was charged from them when they purchased it. But there is another way : if somebody is so clever, good and nice that he has a record with him, we can give an advertisement. He can come with the receipt, and we will pay him. But that is not possible, I tell you.

What we do is that we fix the levy price for the country, the uniform levy price. There are 16 zones in the country. In a majority of the zones, the levy price is higher than the average levy price. What we do is that we benefit the consumer by subsidizing this levy price, which is higher than the

average. That is the only way, in which we can do it.

Now about the criticism of the amonding Bill, which the hon. Members have made. I hope they were speaking about the present one. While referring to widening the canvas they have spoken about the arrears. I certainly feel the same way as Mr. Ram Nagina Mishra and Mr. Pitambar do. They expressed it strongly. They accused me and said : "You have no concern for the consumber, and for the producer." I must say that my friend Pitamber, my class fellow is a new Messiah who has come to this House now. Raising his voice as a public speaker does, he has expressed his concern powerfully. All that I can say is that I share his concern, as strongly as he has expressed it, and as strongly as Mr. Nagina Mishra, Mr Panika and others have done.

I will again, in the light of the debate in this house, write to the State Governments. I cannot announce it within 20 days, which you asked me to do. But I can certainly tell my friends who had advised me about this, that within 8 or 10 days, I will write to the State Governments that the arrears should be paid to the cane growers.

Mr. Nagina Mishra has spoken about North-South *samanvay*, i.e. that an equilibrium should be established, so that the north Indian mills do not go out of production. What is that equilibrium ? It is true that we should pay as much as possible to the cane growers. In this country, the greatest point is the population explosion which needs more wheat, more rice, more sugar, more pulses more edible oil, land being the same. We as the Government in the Ministry of Agriculture, are trying to push up, through incentives, many kinds of incentives, all kinds of productions. We cannot increase hectarge ; but, certainly, we can increase their input per hectare ; that is what is possible. Till we are trying our best. For example, for oilseeds in Madhya Pradesh, we are doing it those lands which are not irrigated ; for soyabean, we are also doing it. We are giving now in Bihar and West Bengal incentives for more rice ; we need more rice, Wheat we have. For example, edible oil, we are importing about 800 to 900 crores. So. in this way, the farmer has got an option to produce what he thinks best in the different competitive incentives given to them. In that, sometimes something suffers. But, so far as sugar is concerned, it is not due to that. We suffered a fall in production it is true, from 82 lakh tonnes to about 59-60 lakh tonnes this year because in the South, there was a drought, an agro-climative condition. In the North, in the winter when the cane was maturing, we had very heavy rain. Therefore, this is not correct to say Mr. Ram Nogina Mishraji —that it is due to non—payment that we had suffered ; non-payment was a phenomenon in Bihar and Uttar Pradesh, but compared to North India, Uttar Pradesh and Bihar, Maharashtra have produced less where the payment was given and the arrear was not there. I do not forecast a doom like some members that things will become very bad in the sugar industry next year. One of may friends said, you are importing, you are harming the interest, you are not for the farmers, at the same time echoing the tone of trader and hoarders in this country said doom is coming next year for this sugar industry. I can assure this House and the country that there is no doom in the sugar industry. The gross carry-over stock is 46 lakh tonnes. Our production will be 59 to 60 lakh tonnes. Our consumption in the country is 75-78 lakh tonnes. Our commitment for export is 6.5 lakh tonnes ; we may not do that, but we have already contracted for something like 3 lakh tonnes. So, we will have an opening stock of about 20 lakh tonnes in the new sugar year on first October.

But there is a question on the import of three lakh odd tonnes. It is very simple. I do not want to be the man who is forewarned and yet does not take precaution. As an abundant precaution, I have taken this 3.50 lakh tonnes purchase as import and I can tell you that this sugar is not at what the levy price sugar is. Today, in the

(Shri Bhagwat Jha Azad)

international market, the price has crashed Whenever we exported, we exported at a discount ; we have to pay more. But, now the international price has crashed. We want to take advantage of it. Hon. members should not have grudge about that that. We are not harming the intereds; we are just doing/something about those hoarders of Bombay and Calcutta. I warned them in Calcutta and in Bomby. They have seen in papers what statement I have given. I have reduced their stock ; I have reduced their time for stocking 10 days. The other precautions we will take against the hoarders and traders and those who do it. I have done it. Let not hon. members in one minute think that I will have any sympathy for these antisocial elements. I have never done it as a member and I will never do it as a Minister. Therefore, I assure the hon. members and I share with them the concern that we have to do it ; that is why we have done it. Therefore, let them not think like our Shri R.L.P. Verma abont import, therefore, commission to the officers. He did not say so—thank God—to the Minister ; he did not say that. Possibly he forgof about that or what. But no such things are there. Some say about the elections. Well, for election everybody needs some money.

The Professor also needs it. It is known that vehicles do not run on water but on petrol. So this cheap talk does not carry conviction. The point is whether we did it. We found the time good for storing something. I would like to say, if the House permits, we want to have a buffer stock also. But that should not be interpreted as harming the interests of the cane grower. What Shri Pitambar Sinha said, I know his anxiety. because he comes from an area in Bihar where a large number of sugar factories are there. Being a Communist member he feels the pinch more. He feels that he is the only saviour for the only saviour for the farmer and he is against the mill-owner because he thinks that he is against the farmer. He knows me. I am also against him. But, as individuals they are Profit oriented individuals. But as an industry, the consists of the cane grower, mill owners and all others, and I have to see that the industry survives. So, about the price also, as the hon. Members said, I will strongly speak to the State Governments. But I would say that about Samanway, Shri Ram Nagina should argue with the State Government. I am a Minister in the Cabinet, I cannot say for a particular State. Let these two State Governments kindly think over what the Bhargava formula is. They should understand things like giving advance payments, as Maharashtra and Tamil Nadu are doing.

It is very difficult to speak about rationality of the price advised to be paid by the States. But I will take courage and do it. In Bihar and Uttar Pradesh they ensure remunerative price not only to the farmers but also to the industry and thereby they think in terms of the consumers. It is very difficult, at a time to announce a price and then pay it. You will suffer both ways. If you accounce a higher price then people will say, "Very good, very good." And when yon do not pay then it harms you.

I agree with Shri Ram Nagina Mishra that we have to think in terms of a rationabe or Samanway. What is that rationale ? What is the State advised price ? It is no good saying, 'Pay Rs. 23/-. We are doing it You are saying that the statutory price is actually related in terms of the consumers, not the farmers. There you are giving a much higher price then the statotory Price. Therefore, that is the only way where we should think in terms of that.

I would say the most important question is about this levy sugar rate and the open market rate. My friend, Shri Mishra has asked why we are taking 65 per cent of the production. For whom are we taking it ? If, after all Punjab produces wheat. Bihar, West Bengal and Tamil Nadu also should get it. If you produce more and the consumers are not able to use it then what will happen to the produce ? Therefore, you have to keep in mind a balanced policy and the price at which the consumer should get it, to suit his pocket. That is why the price of sugar is Rs. 4/- per one kg in all Parts of the country, from Nagaland to

Gujarat and from Kanyakumari to Kashmir.

SHRI PITAMBAR SINHA (Bettiab) : But it is not available at the lowest levels.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : I will come to that. For that Vitaran Pranali should be there That does not exactly concern me. Still, I will reply. But let us quickly come this point. Shri Pitambar Sinha said that levy sugar is not available in the market at Rs. 4/-. At some places it is not available ; at some other places it is available. What do you want me to do ? That is a straight question. You want the administration to be tightened up. Some hon. Members told me, and after going to the Ministry—whether it may be an ordinary member of the public or an employee of the Lok Sabha living in Janak Puri—on the next day I sent an inspection squad consisting of a Joint Secretary and other officers of the Ministry. The question is that whenever you would ask me, I will put the sarkari tantar into action. We will send them. They will enquire into it. But what I am saying is this. There can be no surety of a proper availability at a price unless there is a powerful consumer protection movement in the country. If you want me as Minister to make that movement, I will choose some organisation, pay them more. But they will have the same fate as the sarkari tantar is having. Therefore, the reply is not in the Minister's month or pocket. The reply is that Mr. Pitambar, Mr. Mishra and others must have a powerful consumer movement. Every time you told me, I have been quiet But I have sent my Inspectors. I can do that. But apart from that, as a Member you and I can have a movement. I am prepared as a Minister to defend the sovereignty of the consumer in which there is a powerful movement. You please develop it. Mou have my full support as a Government and as a Minister. But I donot concede that it is not available everywhere. Had it been so, where does the off take which is growing every month and year, go ? It does not go to the sea I agree that in some places this problem is there.

About nationalisation, there has been nationalisation of many industries in the country. Since the First Lok Sabha when I come as the youngest in independent India in 1952, I have been a blind supporter of nationalisation. I still hold that view. But the question is whether nationalisation in itself is the panacia or whether in an industry like sugarcane where the largest number of mills are run by the Government and the cooperative sector, we should give time to the cooperatives and the Government to run them on their own. What Mr. Gangwar has said about the cooperative mill in his constituency, I look forward to that. Any Member whether this said - no talk. I mean what I say—can come with a proposal in the cooperative sector. If it qualifies under the techno-economic survey i.e. more cane is available, I will never besitate to give a licence. I can say it right now. But the question is when the Member comes I will not differentiate. Two things must be there. Let it be in the cooperative sector and there is enough cane availability. I will give you the licence. But the question is you come with a proposal, that does not fulfil the requirement and then you want a favour. I am not for favour, becaus I know that it will be closed and again it will come on my head. I am not for that. Please develop that area. I feel that there is a scope for expansion of the cooperative movement in the field of sugarcane in this country. I would support that move more than nationalisation.

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL (Kopargaon) : You did not say anything about the minimum price to the cane growers.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : At present, the cane price that has been given by the State Governments is much above the statutory price. Maharashtra and Tamil Nadu are following a rational formula of advance payment and then in the end of the season they follow the Bhargava formula. I think that basis which you are following, should be strengthened. I am recommending that to others also in Northern India, because that is the only rational approach in which wc can decide and remove this this lacuna in payment.

(Shri Bhagwat Jha Azad)

With these worlds, I am thanking the hon. Members for the constructive criticism they have made. I sympathise and agree with them about the difficulties I assure you that I will do my best.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That the Bill to amend the Levy Sugar Price Equalisation Fund Act, 1976, be taken into consideration."

The Motion was adopted

MR. DEPUTY SPEAKER : Now we take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is :

"That Clauses 2 to 8 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 8 were added to the Bill.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That Clause I, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : I beg to move :

"That the Bill be passed"

SHRI ABDUL RASHID KABULI (Srinagar) : I have to say something at this stage, Sir.

Mr. DEPUTY SPEAKER : He has covered all the points. As a matter of fact, I was thinking that the Minister has given more reply then was required. All right, you take two minutes. Let me see what new points you raise.

Motion moved :

"That the Bill be passed"

Mr. Abdul Reshid Kabuli.

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में दोनों तरफ से जो मुद्दा सामने आया वह राष्ट्रीयकरण का था। कांग्रेस सरकार का यह कमिटमेंट है कि वह राष्ट्रीयकरण का रास्ता अपनाएगी। लेकिन आजाद साहब का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार का जो कमिटमेंट है जनता के साथ, उस पर से उस का विश्वास उठ गया है। पिछले 37 सालों से सरकार का जो कमिटमेंट रहा है, उसके बारे में आज आजाद साहब का यह कहना है। आज दोनों पक्षों के लोग इस बात की मांग कर रहे हैं। सभी तरफ से यह बात सामने आ रही है कि मिल-मालिकान की तरफ से भ्रष्टाचार हो रहा है और किसान और कंज्यूमर्स दोनों का नुकसान हो रहा है। मंत्री महोदय जो बात यहां कहते हैं वह बात सरकार की तरफ से और प्रधानमंत्री जी की तरफ से कही जाती है। कलैक्टिव रेसपोंसिबिलिटी मानी जाती है। आज किसान और कंज्यूमर्स दोनों के हकूक पर डाका डाला जा रहा है। यह मिल-मालिकों के द्वारा किया जा रहा है तो फिर उसका उपाय क्यों नहीं सोचा जा रहा। (व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER : The Minister has advocated the cooperative system. What do you have to say about it in place of nationalisation ?

श्री अब्दुल रशीद : दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान में फ्रूट उत्पादन करने वाले किसान हैं, तिलहन और पल्सेस पैदा करने वाले किसान हैं, गंदम पैदा करने वाले किसान हैं लेकिन इस सदन में

बताया गया कि गन्ना उत्पादक जो किसान है उसकी हालत इससे बुरी है। बाकी किसान काफी हद तक संतुष्ट हैं लेकिन गन्ना उत्पादक काफी नाराज है। जैसाकि बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 95 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। बिहार में 25 करोड़ रुपए बकाया है और अकेले चंपारण जिले में 10 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। इससे जाहिर है कि किसानों को पैसा अदा नहीं किया जाता। इसलिए सरकार को हिम्मत से आगे आना चाहिए। सरकार को पूरे मुल्क की रहनुमाई करनी चाहिए और इसके लिए एक कांप्रीहेंसिव बिल लाना चाहिए। इस सदन की यही मंशा है और तभी सदन की तसल्ली होगी।

شری عبدالرشید کابلی (سری نگر) اپادھیکش مہودے آج اس سدن میں دونوں طرف سے جو مدعا سامنے آیا وہ راشٹریکرن کا تھا۔ کانگریس سرکار کا یہ کمٹمینٹ ہے کہ وہ راشٹریکرن کا راستہ اپنائیگی۔ لیکن آزاد صاحب کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسکا مطلب یہ ہوا کہ سرکار کا جو کمٹمینٹ ہے جنتا کے ساتھ اس پر سے اس کا وشواس اُٹھ گیا ہے۔ پچھلے ۳۷ سالوں سے سرکار کا جو کمیٹمینٹ رہا ہے اس کے بارے میں آج آزاد صاحب کا کہنا یہ ہے۔ آج دونوں پکشوں کے لوگ اس بات کی مانگ کر رہے ہیں۔ سبھی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ مل مالکان کی طرف سے بھرشٹاچار ہو رہا ہے اور کسان اور کنزیومرس دونوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ منتری مہودے جو بات یہاں کہتے ہیں وہ بات سرکار کی طرف سے اور پردھان منتری جی کی طرف سے کہی جاتی ہے۔ کلیکٹیو ریسپانسیبلٹی مانی جاتی ہے۔ آج کسان اور کنزیومرس دونوں کے حقوق پر ڈاکا ڈالا جا رہا ہے۔ یہ مل مالکوں کے دوارا کیا جا رہا ہے تو پھر اس کا اپائے کیوں نہیں سوچا جا رہا۔ ....(انٹرپشنز)...

MR. DEPUTY SPEAKER : The Minister has advocated the cooperative system. What do you have to say about it in place of nationalisasion ?

شری عبدالرشید کابلی : دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہندوستان میں فروٹ اتپادن کرنیوالے کسان ہیں۔ تلہن اور پلسیس پیدا کرنیوالے کسان ہیں۔ گندم پیدا کرنیوالے کسان ہیں لیکن اس سدن میں بتایا گیا کہ گنا اتپادک جو کسان ہے اس کی حالت ان سے بہت بُری ہے۔ باقی کسان کافی حد تک سنتشٹ ہیں لیکن گنا اتپادک کافی ناراض ہیں۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ اُتر پردیش میں ۹۵ کروڑ روپیہ کسانوں کا بقایا ہے۔ بہار میں ۲۵ کروڑ روپیہ بقایا ہے اور اکیلے چمپارن ضلع میں ۱۰ کروڑ روپیہ کسانوں کا بقایا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ کسانوں کو پیسہ ادا نہیں کیا جاتا۔ اس لیے سرکار کو ہمت سے آگے آنا چاہیے۔ سرکار کو پورے ملک کی رہنمائی کرنی چاہیئے اور اس کے لیے ایک کامپریہینسیو بل لانا چاہیے۔ اس سدن کی یہی مانگ منشا ہے اور تبھی سدن کی تسلی ہوگی۔

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी मैं पहली बात यह कहना चाहता हूं कि दोहरी मूल्य मीति की आवश्यकता क्या है ?······ (व्यवधान) इस दोहरी मूल्य नीति की वजह से ही यह बिल लाना पड़ रहा है। 35 परसेंट चीनी बेचने की इजाजत जो मिल मालिक को दी जानी है, उसको समाप्त किया जाए और सारे स्टाक को अपने कब्जे में लेकर बितरण प्रणाली के जरिये से चीनी को बांटा जाये। इसमें क्या कठिनाई है ? इस नीलि की वजह से लोगों के दिलों में सन्देह होना स्वाभाविक है कि इनकी कोई सांठ-गांठ तो नही है। चीनी की क्वालिटी तो बहुत ही खराब है। कुछ सदस्यों ने तो यह भी कहा कि इसमें मिलावट चल रही है। चीनी गल जाती है और जो मिलाई हुई चीज रहती है, वह जम जाती है। इस मिलावट को

(श्री रामावतार शास्त्री)

रोकने के लिए आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? मजदूरों के बारे में तो यहां कुछ भी नहीं कहा गया। सबसे खराब हालत चीनी उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की है। उनके लिए जो कानून बने हुए हैं, वह भी लागू नहीं होते हैं। वेतन आयोग की सिफारिशों को मालिक लोग रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। इस तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। आखिरी बात अपने इलाके की कहना चाहता हूं। हमारे विक्रम, नौबतपुर और बिहटा में गन्ने की पैदावार होती है। वहां साऊथ बिहार शुगर मिल बिहटा में हैं। सरकार के कब्जे में होते हुए भी उसकी हालत अच्छी नहीं है। अब यह सुनाई पड़ रहा है कि इस चीनी मिल को सरकार उत्तर बिहार में ले जाना चाहती है। अगर यह बात सही है तो किसान अपना गन्ना इतनी दूर नहीं ले जा सकेंगे। मैं चाहूंगा कि बिहार सरकार कोई ऐसा निर्णय ले, जिससे उसको वहीं पर रहने दे ताकि वहां के किसानों के गन्ने उस मिल में जा सकें।

श्री भागवत झा आज़ाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मेम्बर, जम्मू-काश्मीर, से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास करती है जिसमें पब्लिक सेक्टर को कमान्डींग हाईट देने पर कटिबद्ध हैं। इसके अंतर्गत जहां जहां राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता है, वहां वहां समय और आवश्यकता के अनुसार किया जा रहा है। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि राष्ट्रीयकरण से हमारा विश्वास उठ गया है। हमारा विश्वास सिर्फ राष्ट्रीयकरण के लिए हो, ऐसा नहीं है। जब कभी भी ऐसी आवश्यकता पड़ती है, हम राष्ट्रीयकरण भी करते हैं। जिन उद्योगपतियों ने अपने स्वार्थ के लिए इसको खोखला बनाया है, उसका जवाब यही है कि को-आपरेटिव और सरकारी क्षेत्र में अधिक से अधिक उद्योग चलाए जाएं ताकि उनको हम बाहर निकाल सकें। साथ ही, इन पर और नियंत्रण की आवश्यकता होगी, वह हम करेंगे। इसी संदर्भ में माननीय रामावतार शास्त्री जी ने जो कुछ कहा, मैं मानता हूं कि हमारी दोहरी नीति है, लेकिन दोहरी नीति इसलिए है कि यदि हम उद्योगों के सारे उत्पादन को खुले बाजार में छोड़ दें तो उसकी कास्ट आँफ प्रोडक्शन के अनुसार चीनी का मूल्य अधिक होगा। इसी कारण हमने निर्णय लिया है कि 65 प्रतिशत चीनी को हम लेकर उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण देश में एक ही दर—चार रुपये प्रति किलो के हिसाब से, जो लागत मूल्य से कम बैठता है, बेचेंगे और बाकी 35 प्रतिशत छोड़ेंगे ताकि हमारे उद्योग भी पनप सकें और आगे बढ़ सकें। यदि शत-प्रतिशत हम करने लगें तो जैसा नगीना जी ने कहा, तो आप उत्पादन करने वालों से पूछ लीजिए, वे क्या चाहते हैं, वे क्या कहते हैं। इन्होंने स्वयं कहा कि हम सब चीनी ले लेते हैं, हमको भी कुछ छोड़नी चाहिए। लेकिन हम उनको भी मर्जी के मुताबिक कीमत नहीं लेने देते। हमारा अंकुश उन पर भी रहता है। इसलिए हमारे पास जितनी चीनी आती है उसका बाजार में जाने वाली चीनी के साथ एक निश्चित अनुपात रहता है। आपका यह कहना गलत है कि वह उसमें तीन रुपये प्रति किलो का डिफरेंस है। क्योंकि लेवी शुगर का दर चार रुपया प्रति किलो है और बाजार में उपलब्ध चीनी 5-10 रु० या 5-40 के बीच में है। इसलिए दोहरी नीति का पूरा औचित्य है।

जहां तक चीनी में मिलावट और उसकी गुणवत्ता का प्रश्न है, जैसा आपने कहा, हो सकता है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे दुष्ट लोग हों जो दवाईयों तक में मिलावट कर देते हैं। उसका उत्तर यही है जिस तरह के विद्वान और जोरदार मैम्बर आप हैं, आप और हम सब मिलकर एक कन्ज्यूमर्स मूवमैंट चलायें और

उन पर रोक लगायें। सरकार अपनी तरफ से जो सम्भव होगा, आपकी शिकायतों पर उचित कार्यवाही करेगी।

जहां तक मजदूर स्थिति का सम्बन्ध है, मैं आपसे सहमत हूं कि उन पर भी भारत सरकार के नियम लागू होने चाहिए। यदि कोई मिल वाला उन नियमों के विरुद्ध जाता है तो उस समय आप मुझसे जैसा चाहेंगे अपनी शक्तियों और सीमा-अधिकार के अन्तर्गत रहते हुए, मैं आपकी सहायता करूंगा। लेकिन आप आप भी ट्रेड यूनियन लीडर हैं और इधर भी कई यूनियन लीडर हैं, आप लड़ करके उनको न्याय दिला सकते हैं। उसमें मेरा सहयोग आपको रहेगा।

आपने यहां साउथ बिहार में मिल के ले जाने की बात कही, उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। मुझसे अधिक शक्तिशाली मेम्बर आप हैं। बिहार सरकार को मैं भी कह सकता हूं, मगर आप भी कहिए कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। उचित तरीके से कहने की ही आवश्यकता है। मैं भी आपकी बात को वहां तक पहुंचा दूंगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed".

The Motion was adopted.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, July 25, 1984/ Sravana 2, 1906 (SAKA).